बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

मदन सहनी
मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार

वार्षिक प्रतिवेदन
2021-2022

02 अप्रैल 2021 को 'विश्व ऑटिज़्म जागरुकता दिवस' के अवसर पर प्रभात फेरी में भाग लेते श्री मदन सहनी, माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग

लॉकडाउन में 'बुनियाद केन्द्र' पर बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवाओं और ट्रांसजेंडर के लिए सामुदायिक भोजनालय की व्यवस्था

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

वार्षिक प्रतिवेदन 2021-2022

बिहार सरकार

मदन सहनी
मंत्री
समाज कल्याण विभाग, बिहार

संदेश

समाज कल्याण विभाग का वित्तीय वर्ष 2021-22 का वार्षिक प्रतिवेदन विधान मंडल के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है। आप अवगत हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सक्षम नेतृत्व एवं बहुआयामी विकासशील मार्गदर्शन में समाज कल्याण विभाग निरंतर अपने दायित्वों के संवहन में पूर्ण तन्मयता के साथ कार्यरत है। सरकार की महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप समाज कल्याण विभाग द्वारा बच्चों, महिलाओं, वृद्धजनों, दिव्यांगों, किन्नर, निराश्रित, असहाय, भिक्षुकों आदि के कल्याण हेतु विभिन्न निदेशालयों, आयोगों, निगम आदि के माध्यम से अनेक योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है, जिसे अभिवंचितों में नयी आशा एवं जागृति का संचार हुआ है। महिला एवं बाल विकास निगम के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं और इस कड़ी में दहेज प्रथा के उन्मूलन एवं बाल विवाह प्रतिषेध के लिए विगत वर्षो में आरंभ किए गए राज्यव्यापी अभियान से कई सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। राज्य के वृद्धजनों, दिव्यांगों, विधवाओं आदि के लिए चलाई जा रही योजनाओं का प्रभावी परिणाम भी समाज पर परिलक्षित हो रहा है। विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 के दौरान समाज कल्याण विभाग की भूमिका अहम रही। इस संक्रमण काल में लाभार्थियों के बीच पोषाहार, पेंशन (डीबीटी के माध्यम से) सतत् रूप से प्रदान किया गया। सरकार की इन प्रयासों को सफलीभूत करने के कार्य में आपके सहयोग एवं मार्गदर्शन की अपेक्षा है।

ऐसी आशा है कि विभाग की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के सफल संचालन में आपका सहयोग निरन्तर प्राप्त होता रहेगा।

(मदन सहनी)

बिहार सरकार

प्रेम सिंह मीणा, भा0प्र0से0
सचिव
समाज कल्याण विभाग
बिहार सरकार

संदेश

समाज कल्याण विभाग का वित्तीय वर्ष 2021-22 में किये गए कार्यों की उपलब्धियों एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 में किये जाने वाले कार्यों के उपबंधों के उल्लेख के साथ वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया गया है, जिसे विधान मंडल के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। इस प्रतिवेदन में विभाग के अधीन सभी निदेशालयों, आयोगों, समितियों एवं निगमों द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों का समावेश किया गया है, जिससे विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यों की जानकारी के साथ-साथ योजनाओं का समुचित प्रचार-प्रसार भी किया जा सके।

समाज कल्याण विभाग द्वारा बच्चों, महिलाओं, वृद्धजनों, दिव्यांगजनों, निराश्रित, असहाय, भिक्षुकों एवं किन्नर आदि के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जो अभिवंचित वर्गो/ निराश्रितों /जरूरतमंदो को समाज की मुख्य धारा में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 के दौरान विभाग द्वारा वंचित वर्गों के बीच पेंशन (डीबीटी के माध्यम से) के अतिरिक्त सैनिटाईजर इत्यादि का वितरण सतत रूप से किया गया है।

मैं आशा करता हूँ कि सभी हितभागियों के निरन्तर सहयोग से विभाग अपने दायित्वों के निर्वहन में सदैव सफलता की ओर अग्रसर रहेगा।

(प्रेम सिंह मीणा)

विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1	परिचय	1
2	विभागीय संगठनात्मक संरचना	2-8
3	विभाग अंतर्गत संचालित योजनाएँ	9-11
	बाल विकास प्रक्षेत्र की योजनाएँ	**12-24**
4	आँगनवाड़ी सेवाएँ	13
5	पूरक पोषाहार कार्यक्रम	13
6	राष्ट्रीय पोषण मिशन (पोषण अभियान)	14-17
7	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)	17
8	किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (SAG)	18
9	आँगनवाड़ी केन्द्र भवन निर्माण योजना	19
10	राष्ट्रीय क्रेच स्कीम (NCS)	19-20
11	आँगनवाड़ी केन्द्रों का मॉडल आँगनवाड़ी केंद्र के रूप में उत्क्रमण	20
12	आँगनवाड़ी केन्द्र के बच्चों के लिए पोशाक योजना	21
13	मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना	23
14	मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	24
	महिला प्रक्षेत्र की योजनाएँ	**26-30**
15	मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना	25-29
16	सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि	25
17	वन स्टॉप सेंटर-सह-महिला हेल्पलाईन	25
18	रक्षा गृह	26
19	पालनाघर	27
20	जिला महिला सशक्तिकरण कार्यालय हेतु भवन निर्माण	27
21	महिला हेल्पलाईन नंबर 181	28
22	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	28
	बाल संरक्षण प्रक्षेत्र की योजनाएँ	**31-36**
23	समेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS)	31
24	परवरिश योजना	34
25	स्पॉन्सरशिप	34
26	बाल सहायता योजना	35
27	अन्य प्रक्षेत्र	36-41

विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
	सामाजिक सुरक्षा प्रक्षेत्र की योजनाएँ	**42-49**
28	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	42
29	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	42
30	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन	43
31	लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	43
32	बिहार नि:शक्तता पेंशन	43
33	मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना	43
34	आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम	44-45
35	मृत्योपरांत देय अनुदान योजनाएँ	45-46
36	बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना	46
37	बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना	46
38	मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना	47
39	ओल्ड एज होम (SAHARA)	47
40	अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY)	48
41	इन्टीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सिनियर सिटिजन्स (IPSrC)	48
42	मादक द्रव्यों के रोकथाम एवं नशा विमुक्ति हेतु राष्ट्रीय नीति (NAPDDR)	48
43	वस्त्र वितरण कार्यक्रम	49
	स्टेट सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पूअर एण्ड सोशल वेलफेयर (सक्षम)	**50-64**
44	बिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना (बीआईएसपीएस)	50-55
45	मुख्यमंत्री भिक्षावृति निवारण योजना	56-59
	दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय अधीन संचालित योजना	**65-70**
46	मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना (सम्बल)	65-68
47	दिव्यांग व्यक्तियों के लिए स्कीम (सिपडा) योजना	68-70

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

वार्षिक प्रतिवेदन- 2021-22

परिचय :

समाज कल्याण विभाग महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगजनों, वृद्धजनों एवं समाज के अन्य अभिवंचित वर्गों के हितों तथा अधिकारों के संरक्षण, संवर्द्धन एवं प्रोत्साहन हेतु राज्य सरकार का महत्वपूर्ण विभाग है, जिसका मुख्य उद्देश्य इन समूहों की समेकित उन्नति एवं विकास के लिए संविधान, विभिन्न अधिनियमों, राज्यादेश एवं नियमावली के अनुसार नीतियाँ, कार्य योजनाएँ एवं कार्यक्रम तैयार कर उसका कार्यान्वयन करना है। वर्ष-2007 में कल्याण विभाग से अलग होने के पश्चात यह विभाग लगातार अपने उद्देश्यों की पूर्ति की ओर अग्रसर है।

कार्य एवं दायित्व:

बिहार कार्यपालिका (संशोधित) नियमावली-2007 के अनुसार समाज कल्याण विभाग को निम्न कार्य आवंटित है :-

1. वृद्धावस्था / सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वितरण।
2. वरीय नागरिकों के कल्याण से संबंधित सभी कार्य एवं योजनाएँ।
3. दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित सभी अधिनियमों का प्रकाशन तथा उनके कल्याणार्थ सभी योजनाओं का कार्यान्वयन।
4. सभी प्रकार के विशेष सुधार गृहों का नियंत्रण एवं प्रशासन जैसे बाल सुधार गृह, ऑब्जरवेशन होम, आफ्टर केयर होम, शेल्टर होम, विशेष गृह, शिशुगृह इत्यादि।
5. बच्चों, किशोरियों एवं महिलाओं के लिए विशेष पोषाहार योजना।
6. महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण तथा सशक्तिकरण संबंधी सभी कार्य।
7. दहेज प्रथा, दहेज प्रताड़ना, महिला उत्पीड़न आदि समस्याओं का उन्मूलन एवं पुनर्वास।
8. भिक्षुकों का पुनर्वास।
9. महिलाओं तथा बालकों के कल्याण, विकास तथा अधिकारिता से संबंधित सभी अधिनियमों का कार्यान्वयन।
10. दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित सभी अधिनियमों का प्रशासन तथा उनके कल्याणार्थ सभी योजनाओं का कार्यान्वयन।
11. विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।
12. दत्तकग्रहण से संबंधित सभी अधिनियमों का प्रशासन।
13. जाति प्रथा का उन्मूलन।
14. नशामुक्ति एवं नशाग्रस्त व्यक्तियों का पुनर्वास।
15. किन्नरों का कल्याण।

विभागीय संगठनात्मक संरचना

वर्तमान में श्री मदन सहनी, समाज कल्याण विभाग के माननीय मंत्री तथा श्री प्रेम सिंह मीणा, भा0प्र0से0, सचिव के रूप में कार्यरत है। इनकी सहायता के लिए एक संयुक्त निदेशक, दो उप सचिव, एक उप निदेशक, दो विशेष कार्य पदाधिकारी, एक आन्तरिक वितीय सलाहकार, एक सहायक आन्तरिक वितीय सलाहकार तथा तीन प्रशाखा पदाधिकारी कार्यरत है।

राज्य मुख्यालय स्तर पर विभाग की संगठनात्मक संरचना निम्न प्रकार है :-

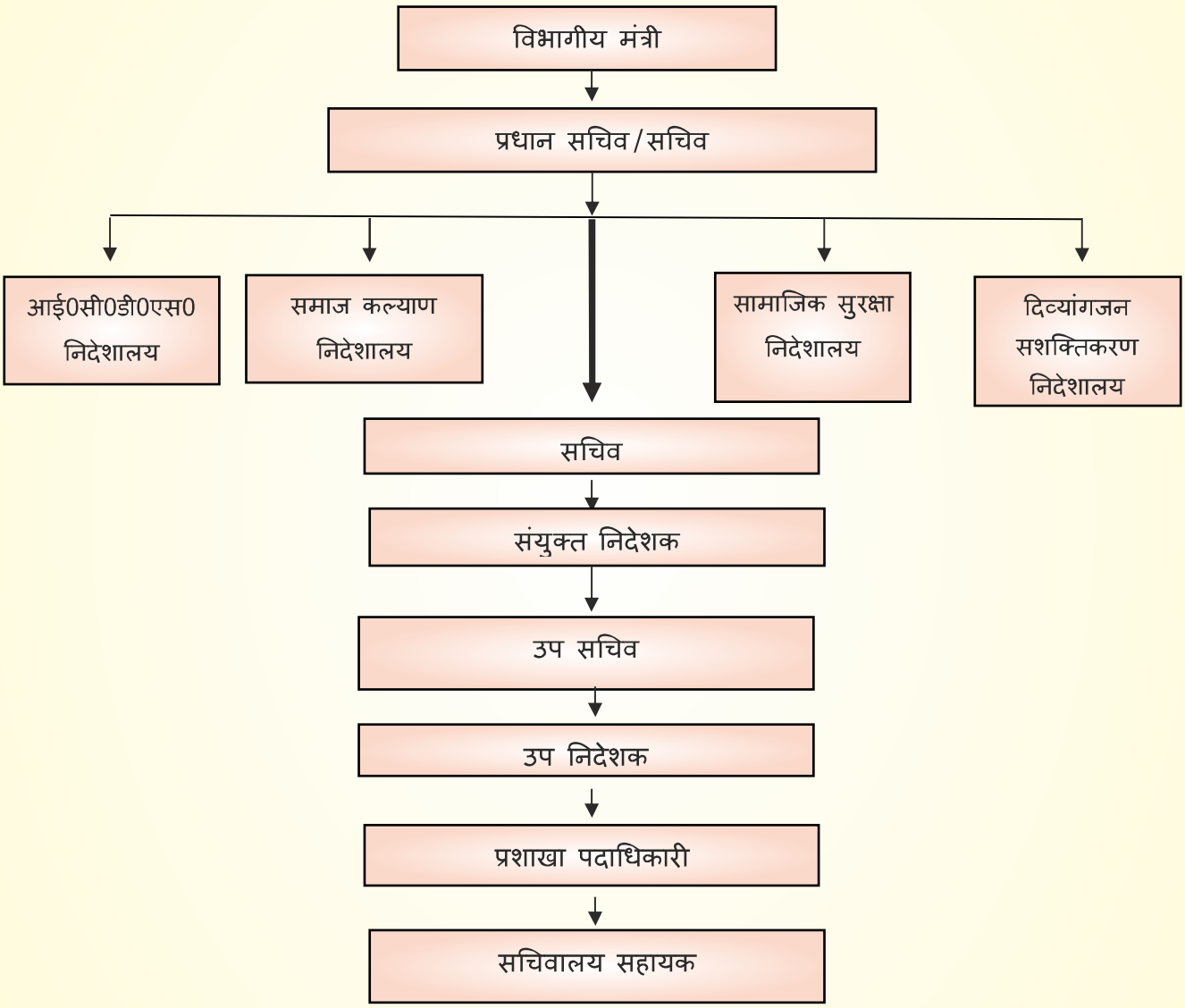

विभाग के अधीन चार निदेशालय कार्यरत है, जिनके कार्य एवं दायित्व तथा संगठनात्मक ढांचे निम्न प्रकार हैं :-

1. **समेकित बाल विकास सेवाएँ (ICDS) निदेशालय :-** इस निदेशालय द्वारा मुख्यत: केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत आँगनबाड़ी सेवाएँ जिसके अन्तर्गत समेकित रूप से 0-6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती तथा धातृ महिलाओं व किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार, स्कूल-पूर्व शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा संदर्भ सेवाएँ सहित छः प्रकार की सेवाएँ

प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना (PMMVY); किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (SAG); राष्ट्रीय पोषण मिशन (ISSNIP/NNM); राष्ट्रीय क्रेच स्कीम (NCS) आदि संचालित होती हैं। योजना के कार्यान्वयन हेतु नीतिगत विषयों, बजट, प्रशिक्षण संबंधी आवश्यक कार्य, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन आदि का कार्य भी होता है।

संगठनात्मक संरचना :- इसकी संगठनात्मक संरचना निम्न प्रकार है :-

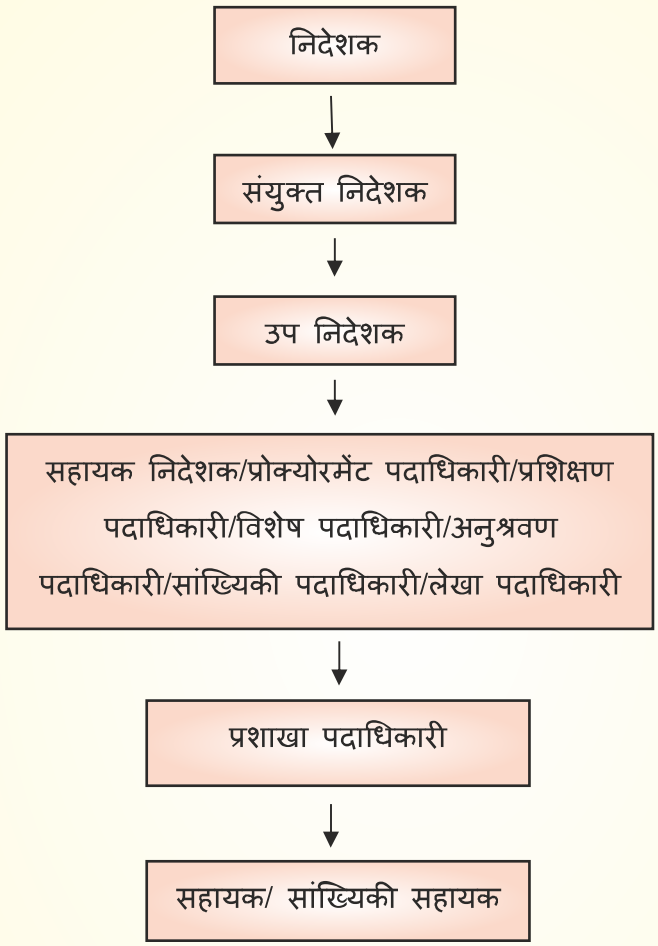

इस निदेशालय के अधीन प्रत्येक जिला में एक जिला प्रोग्राम पदाधिकारी तथा प्रत्येक परियोजना में एक बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का पद स्वीकृत है, जिनके द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण, निगरानी एवं अनुश्रवण का कार्य किया जाता है।

2. समाज कल्याण निदेशालय :- इस निदेशालय द्वारा किशोर न्याय अधिनियम, समेकित बाल संरक्षण योजना, राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण (SARA), महिला सशक्तिकरण नीति, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मानव व्यापार निषेध कार्यक्रम, कार्यस्थलों पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न से सुरक्षा, किन्नर कल्याण योजनाएँ, परवरिश आदि से संबंधित कार्य सम्पादित होते हैं।

संगठनात्मक संरचना :- निदेशालय (मु0) की संगठनात्मक संरचना निम्न प्रकार है :-

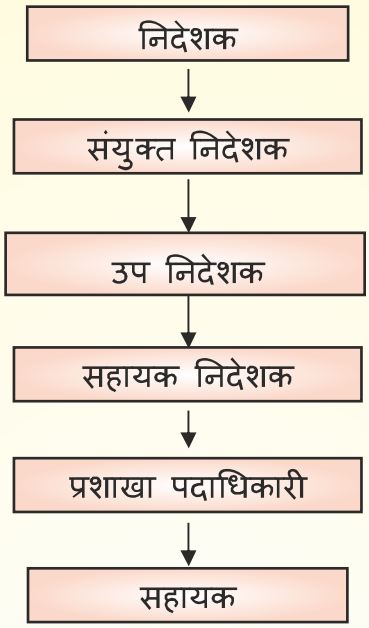

निदेशालय के अधीन एक राज्य बाल संरक्षण समिति तथा राज्य बाल संरक्षण इकाई गठित है, जिसकी संगठनात्मक संरचना निम्न प्रकार है :-

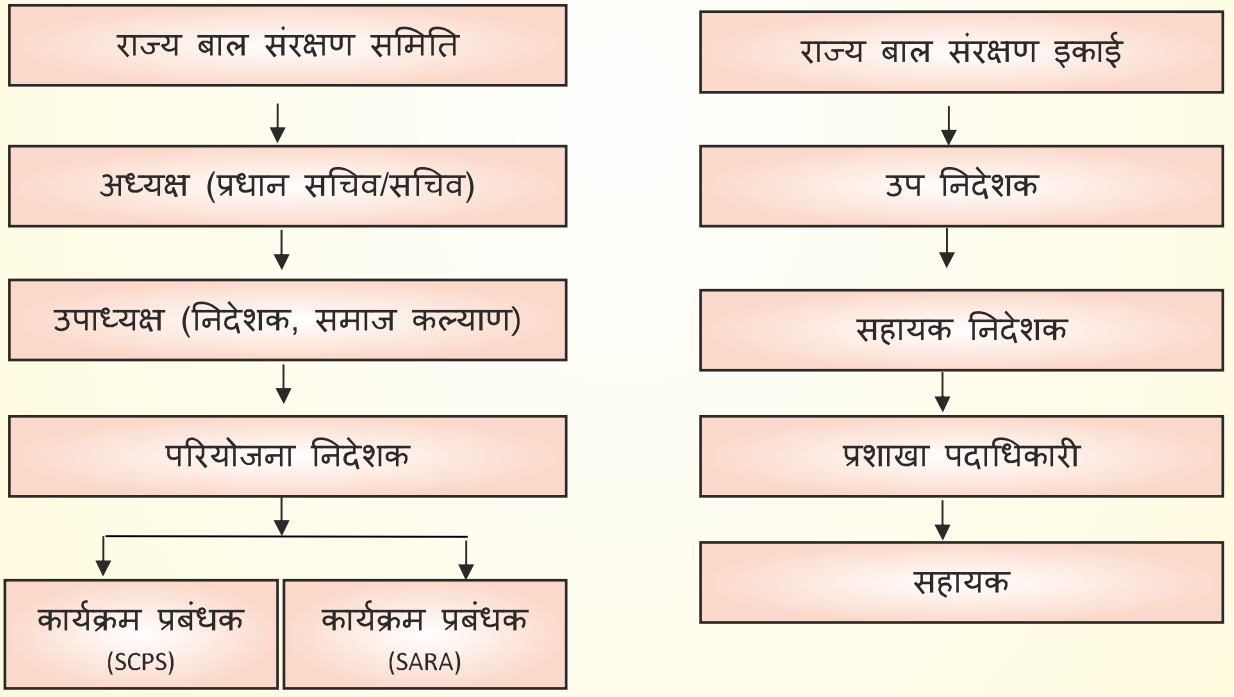

राज्य बाल संरक्षण इकाई के अधीन प्रत्येक जिला में एक सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई का पद है, जिनके द्वारा बाल संरक्षण अधिकार एवं विधि विवादित बच्चों के हितों की रक्षा हेतु समन्वयक का कार्य किया जाता है।

निदेशालय के अन्तर्गत राज्य में महिलाओं के सर्वांगीण विकास, गरीब और वंचित महिलाओं एवं किशोरियों के सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक सशक्तिकरण के उद्देश्य को पूरा करने हेतु वर्ष 1991 में **महिला विकास निगम** की स्थापना की गयी।

महिला विकास निगम का मुख्य कार्य महिला सशक्तिकरण नीतियाँ , घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण तथा महिलाओं के प्रशिक्षण, अल्पावास गृह, हेल्पलाईन सहित उनके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों की योजनाओं का कार्यान्वयन करना है।

संगठनात्मक संरचना :- महिला एवं बाल विकास निगम की संगठनात्मक संरचना निम्न प्रकार है

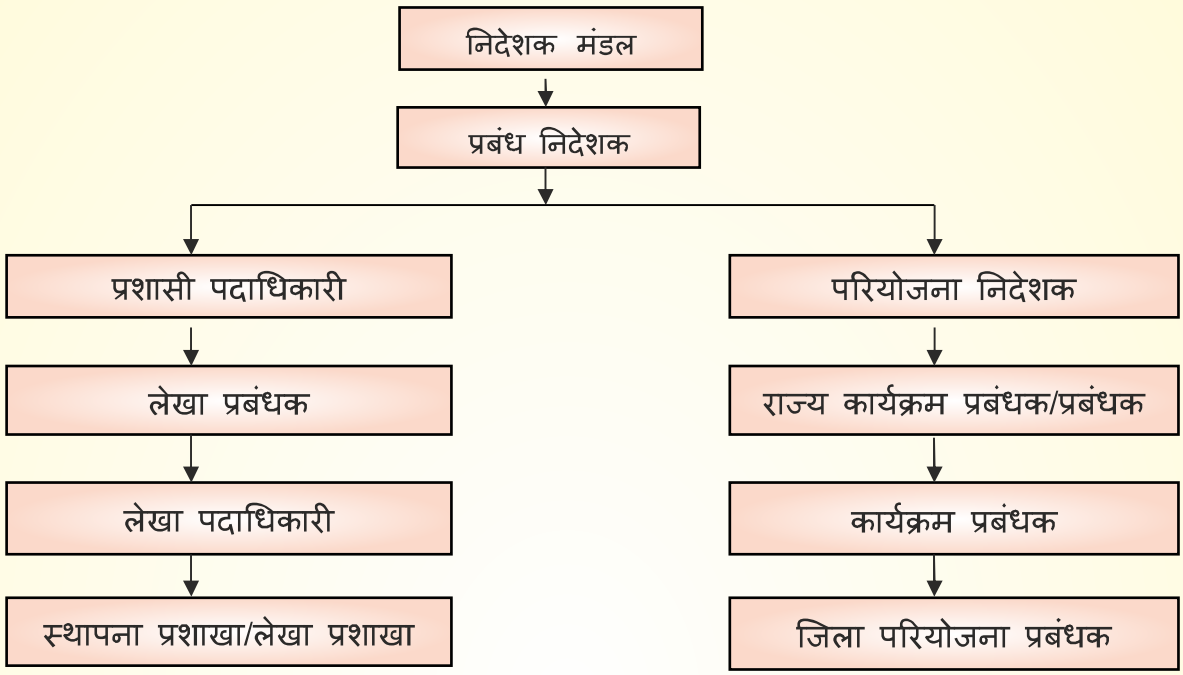

3. **सामाजिक सुरक्षा निदेशालय :-** इस निदेशालय में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएँ, मृत्योपरान्त अनुग्रह अनुदान योजनाएँ , मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना एवं भिक्षुकों एवं निराश्रितों का पुनर्वास, माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों की अधिकारिता एवं कल्याण, नशा विमुक्ति एवं पुनर्वास आदि संबंधित कार्य संचालित होते हैं।

संगठनात्मक संरचना :- इसकी संगठनात्मक संरचना निम्न प्रकार है :-

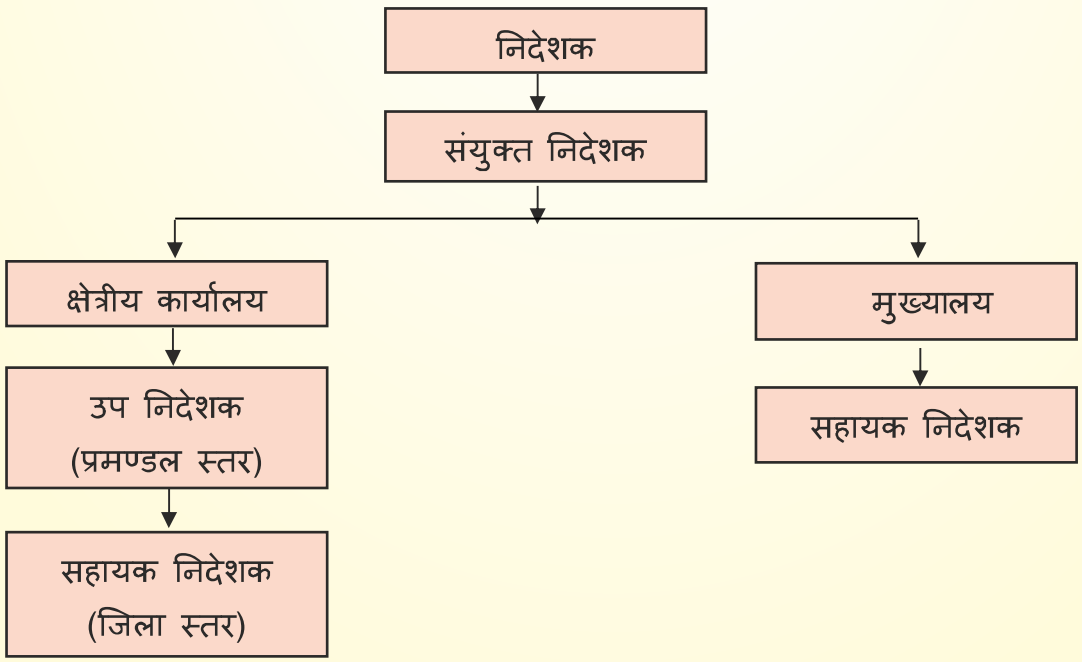

क्षेत्रीय स्तर पर प्रत्येक जिला में निदेशालय के अधीन एक सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग का पद है, जिनके द्वारा निदेशालय की योजनाओं के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण का कार्य किया जाता है।

4. दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय :- इस निदेशालय का गठन समाज कल्याण विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या- 1935 दिनांक 02.04.2018 द्वारा किया गया है। निदेशालय अन्तर्गत दिव्यांगजनों से संबंधित सभी प्रकार के अधिनियम, नियमावली एवं बिहार नि:शक्तता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को छोडकर दिव्यांगजनों के कल्याणार्थ अन्य सभी योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जाता है।

संगठनात्मक संरचना :- इसकी संगठनात्मक संरचना निम्न प्रकार है :-

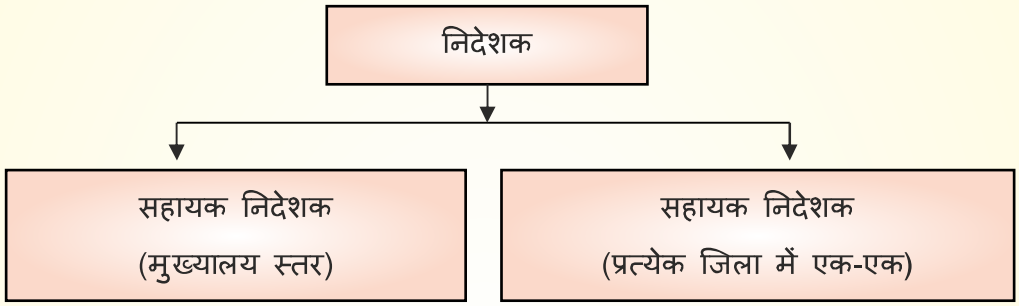

क्षेत्रीय स्तर पर प्रत्येक जिला में निदेशालय के अधीन एक सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग का पद है जिसके द्वारा निदेशालय की योजनाओं का कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण का कार्य किया जाता है।

5. राज्य नि:शक्तता आयुक्त का कार्यालय :- दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम,1995 की धारा-60 (वर्तमान में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-79) के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग, बिहार के अंग के रूप में इस कार्यालय का गठन किया गया है। इस कार्यालय के मुख्य कार्य निम्न है :-

- दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा एवं उनकी पूर्ण भागीदारी के लिए उनसे प्राप्त आवेदनों/परिवादों पर निर्णय कर उन्हें न्याय उपलब्ध कराना।
- गैर सरकारी संस्थानों का दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने हेतु दिव्यांगजन अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत निबंधन प्रमाण-पत्र निर्गत करना।
- दिव्यांग व्यक्ति अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के सम्बन्ध में विभिन्न विभागों/जिला पदाधिकारियों इत्यादि द्वारा किये जा रहे कार्यों का अनुश्रवण करना एवं तत्संबंधी अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त कर वार्षिक/अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदन केन्द्र सरकार/राज्य सरकार को समर्पित करना।

संगठनात्मक संरचना :- इसकी संगठनात्मक संरचना निम्न प्रकार है :-

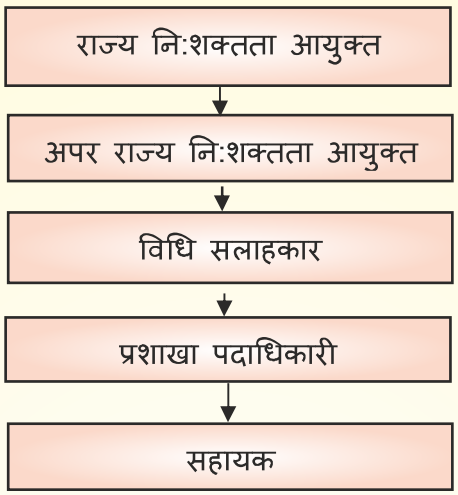

6. **स्टेट सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पूअर एण्ड सोशल वेलफेयर "सक्षम" :-** स्टेट सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पूअर एण्ड सोशल वेलफेयर - 'सक्षम' समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत है। सोसाइटी का लक्ष्य महिलाओं, बच्चों, वृद्धजनों, दिव्यांगजनों, अतिनिर्धन वर्गों व भिक्षुकों के अधिकारों तथा उनके हितों की रक्षा करते हेतु नीति-निर्माण के माध्यम से उनका सर्वांगीण विकास तथा सशक्तिकरण करना है।

सोसाइटी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विकास आयुक्त, बिहार सरकार की अध्यक्षता में गठित आम सभा/सामान्य निकाय 'सक्षम' की सर्वोच्च नीति निर्माण इकाई है। विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सरकारी संगठन एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के अध्यक्ष भी आम सभा/सामान्य निकाय के सदस्य नीति निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षता में गठित 'सक्षम' की कार्यकारिणी समिति में विभिन्न विभागों/सरकारी संगठनों के सदस्य हैं, जो कि 'सक्षम' के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अहम भूमिका निभाते हैं।

'सक्षम' की संगठनात्मक संरचना निम्न प्रकार हैं :-

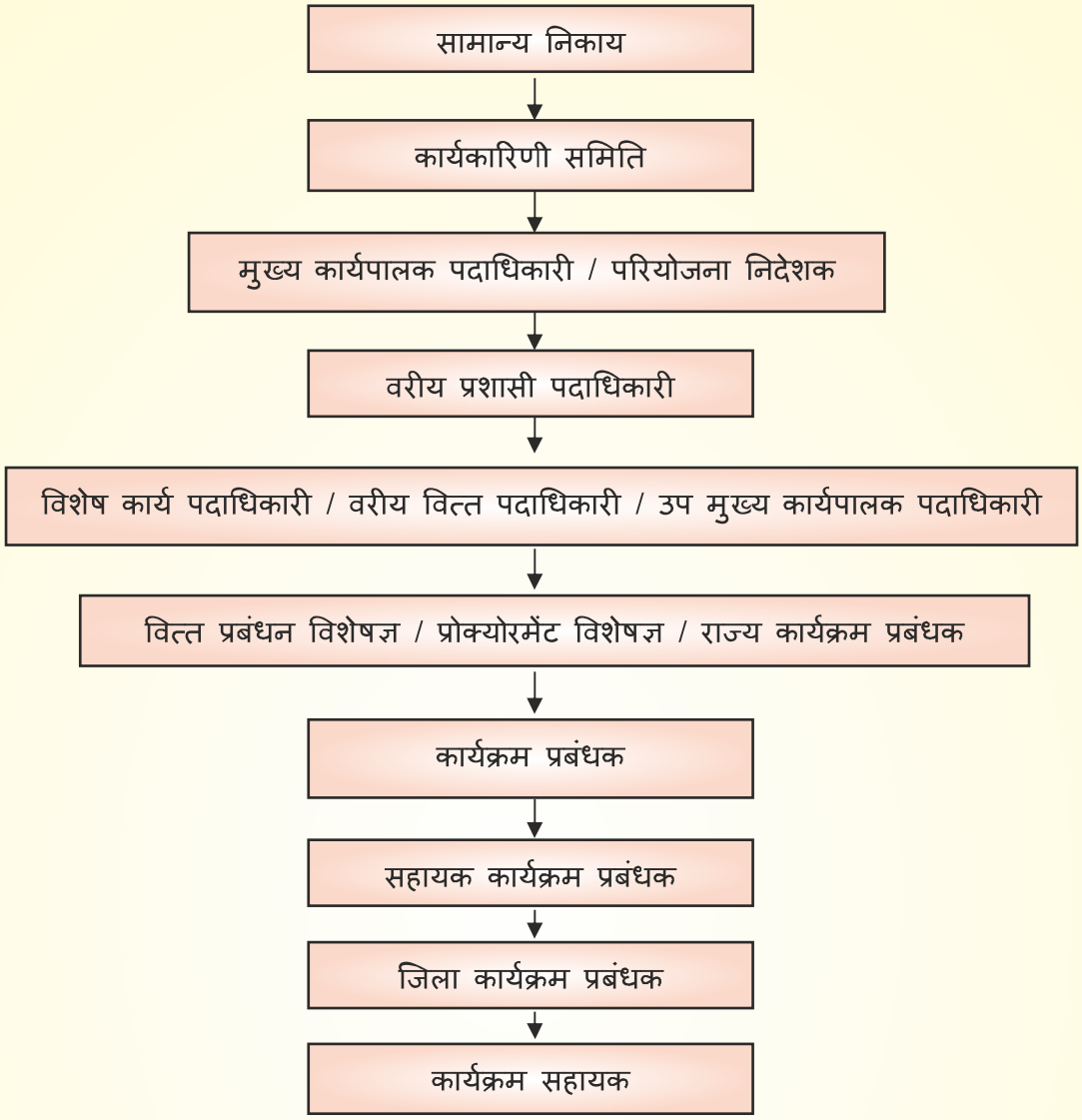

मुख्य योजनाएँ

समाज कल्याण विभाग के अधीन संचालित मुख्य योजनाएँ निम्नवत है :-

महिला प्रक्षेत्र :

- मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना।
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना।
- मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना।
- सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना।
- वन स्टॉप सेन्टर।
- महिला हेल्प लाइन।
- स्वाधार गृह (महिलाओं का सुरक्षा एवं सशक्तिकरण)।
- उज्ज्वला गृह।
- राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन।

बाल विकास प्रक्षेत्र :

- समेकित बाल विकास योजना।
- पूरक पोषाहार कार्यक्रम।
- आँगनबाड़ी केन्द्रों में स्कूल पूर्व शिक्षा के लिए बच्चों हेतु पोशाक योजना।
- किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (SAG)।
- मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना।
- राष्ट्रीय क्रेच योजना।
- राष्ट्रीय पोषाहार मिशन।

बाल संरक्षण प्रक्षेत्र :

- समेकित बाल संरक्षण योजना।
- बाल गृह, खुला आश्रय, विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान, विशेष गृह एवं पर्यवेक्षण गृहों का संचालन।
- बाल सहायता योजना।
- परवरिश।
- स्पॉन्सरशिप।

सामाजिक सुरक्षा प्रक्षेत्र :

- इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन।
- इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन।
- इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन।
- मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना।
- लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन।
- बिहार नि:शक्तता पेंशन।

दिव्यांगता प्रक्षेत्र :

दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याणार्थ संचालित पूर्व की सभी योजनाओं को समेकित कर एक योजना- मुख्यमंत्री दिव्यांग सशक्तिकरण योजना (सम्बल) बनायी गयी है। इसके अन्तर्गत निम्न योजनाएँ संचालित होती है :-

- कृत्रिम अंग एवं उपकरण का वितरण।
- नि:शक्तजनों को शिक्षा एवं स्वरोजगार हेतु ऋण।
- विशेष विद्यालयों का उन्नयन।
- दिव्यांग सर्वेक्षण।
- मानसिक रूप से दिव्यांगजनों के लिए नये विशेष विद्यालयों की स्थापना।
- सुगम्य भारत अभियान के तहत **"सिपडा"** योजना।

मृत्योपरान्त देय अनुदान योजनाएँ :-

- राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना।
- मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना।
- कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना।
- आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका एवं संविदा पर नियुक्त महिला पर्यवेक्षिका के सेवा अवधि के दौरान मृत्यु की स्थिति में अनुग्रह अनुदान।

अन्य योजनाएँ :

- बिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सुदृढीकरण योजना (BISPS)।
- बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना।
- बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना।
- मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना।
- वृद्धाश्रमों का निर्माण।
- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ।
- वस्त्र वितरण योजना।

उपरोक्त सभी योजनाओं को सात छत्र योजना में समाहित किया गया है :-

पूर्व से संचालित सामाजिक सुरक्षा प्रक्षेत्र की योजनाओं को सन्निहित करते हुए 'मुख्यमंत्री सामाजिक सहायता एवं प्रोत्साहन छत्र योजना'; दिव्यांगजन प्रक्षेत्र अन्तर्गत संचालित योजनाओं को सन्निहित करते हुए 'मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना'; बाल विकास प्रक्षेत्र की योजनाओं को सन्निहित करते हुए 'समेकित बाल विकास छत्र योजना'; बाल संरक्षण प्रक्षेत्र अन्तर्गत संचालित योजनाओं को सन्निहित करते हुए 'मुख्यमंत्री बाल संरक्षण छत्र योजना' तथा राज्य के निराश्रित, असहाय, भिक्षुक, किन्नर, वृद्धजन एवं विधवा के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाने, पुनर्वास कार्यक्रमों एवं सेवाओं के संवितरण के सुदृढ़ीकरण हेतु 'मुख्यमंत्री वृहद सहायता छत्र योजना' बनाया गया है। इन सभी पाँचों छत्र योजना पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है। इसके अतिरिक्त महिला प्रक्षेत्र से संबंधित संचालित योजनाओं को भी मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण छत्र योजना के अन्तर्गत समाहित किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना को भी एक छत्र योजना का रूप दिया गया है।

इस छत्र योजना से जहाँ एक ओर इसके अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन से एकरूपता एवं सुगमता होगी वही दूसरी ओर धनराशि के वितरण में किसी राष्ट्रीयकृत अथवा अधिसूचित व्यवसायिक बैंक के Parent-Child Account एवं DBT की व्यवस्था होने से सरलता एवं पारदर्शिता भी आएगी।

बाल विकास प्रक्षेत्र की योजनाएँ

समेकित बाल विकास सेवाएँ (ICDS) निदेशालय :- इस निदेशालय द्वारा मुख्यतः केन्द्र प्रायोजित स्कीम 'आई0सी0डी0एस0 छत्र योजना' के अन्तर्गत छः प्रकार की सेवाएँ आँगनबाड़ी केन्द्रों पर 0-6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती तथा धातृ महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार, स्कूल-पूर्व शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा संदर्भ सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त अन्य योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री मातृ वन्दन योजना (PMMVY), किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (SAG/SABLA), राष्ट्रीय पोषण मिशन (NNM), राष्ट्रीय क्रेच स्कीम (NCS) आदि संचालित होती हैं। योजनाओं के सफल कार्यान्वयन हेतु नीतिगत विषयों, बजट प्रशिक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन आदि का कार्य भी किया जाता है।

निदेशालय के अधीन प्रत्येक जिला में एक जिला प्रोग्राम पदाधिकारी तथा प्रत्येक परियोजना में एक बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का पद स्वीकृत है, जिनके द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण, निगरानी एवं अनुश्रवण का कार्य किया जाता है।

आँगनबाड़ी छत्र योजना :- वर्ष 1975 से प्रारंभ हुई 'समेकित बाल विकास सेवा योजना' एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। यह प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और विकास के लिए एक अनूठा सर्वव्यापी समुदाय आधारित कार्यक्रम है, जिसके अन्तर्गत बच्चों और महिलाओं की बहुआयामी तथा पारस्परिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कारगर तथा कम लागत पर आँगनवाड़ी केन्द्रों द्वारा छः सेवाएँ प्रदान की जाती है।

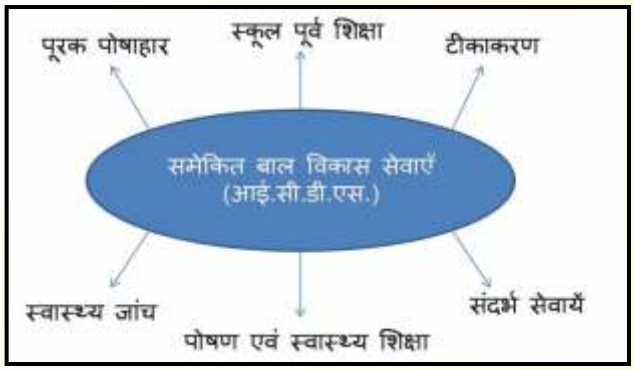

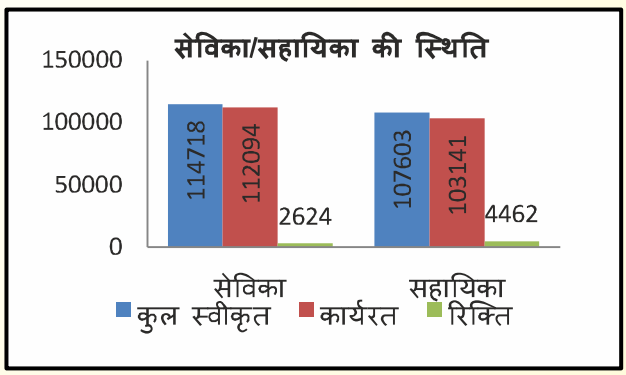

उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समेकित रूप से निम्नलिखित छः सेवायें 0-6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती तथा धातृ महिलाओं व किशोरी बालिकाओं को इस कार्यक्रम द्वारा प्रदान की जाती है।

समेकित बाल विकास सेवाएँ (आई.सी.डी.एस.) निदेशालय द्वारा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। राज्य में आँगनवाड़ी सेविका के कुल 1,14,718 एवं आँगनवाड़ी सहायिका के कुल 1,07,603 पद स्वीकृत है। इसमें 1,07,603 सामान्य केन्द्र एवं 7,115 मिनी केन्द्र है। वर्तमान

में कुल 1,12,094 सेविकाएँ तथा 1,03,141 सहायिकाएँ कार्यरत है तथा शेष सेविका एवं सहायिका की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।

इसके अंतर्गत निम्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है:-

आँगनवाड़ी सेवाएँ :- राज्य के सभी जिलों में जिला प्रोग्राम कार्यालय एवं सभी प्रखंड स्तर पर 544 बाल विकास परियोजना कार्यालय स्वीकृत एवं संचालित है। भारत सरकार के निर्णय के आलोक में वेतन मद में (25:75/0:100) एवं अन्य सभी मदों यथा-वेतन मद को छोड़कर स्थापना के अन्य मद, प्रशिक्षण, ई.सी.सी.ई., पी.एस.ई. किट्स, मेडिसीन किट्स, उपकरण/उपस्कर आदि में 60:40 का अनुपात निर्धारित है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में आँगनवाड़ी सेवाएँ (सामान्य) मद में अब तक केन्द्रांश में रू.76,064.56 लाख बजट उपबन्ध के विरूद्ध रू0 38,404.00 लाख, राज्यांश में रू0 60,060.51 लाख बजट उपबन्ध के विरूद्ध रू0 49,380.00 लाख तथा राज्य स्कीम में रू0 36,404.49 लाख के विरूद्ध रू0 23,403.00 लाख का व्यय किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में आँगनवाड़ी सेवाएँ (सामान्य) केन्द्रांश मद में रू0 81,946.85 लाख, राज्यांश में रू0 23,599.09 लाख एवं राज्य स्कीम में रू0 25,880.77 लाख का उदव्यय प्राप्त है।

पूरक पोषाहार कार्यक्रम :- राज्य के सभी 38 जिलों के 544 बाल विकास परियोजनाओं में कुल स्वीकृत 1,14,718 (संचालित 1,12,094) आँगनबाडी केन्द्रों (मिनी सहित) के माध्यम से 6 माह से 6 वर्ष के सभी सामान्य, कुपोषित बच्चों, सभी अतिकुपोषित बच्चों एवं सभी गर्भवती शिशुवती महिलाओं को पूरक पोषाहार प्रदान करने का प्रावधान है। वतर्मान दर प्रति बच्चा रू0 8/-, प्रति अतिकुपोषित बच्चा रू0 12/- तथा प्रति गर्भवती/ धातृ महिला रू0 9.50/- निर्धारित है। पोषाहार वितरण का अनुश्रवण आँगनबाडी विकास समिति द्वारा किया जाता है। वर्तमान में केंद्र पर साप्ताहिक मेनू अनुसार गर्म पका भोजन एवं पोषाहार (सूखा राशन) दिया जा रहा है

वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजना अंतर्गत अब तक केन्द्रांश में रु.123,030.77 लाख बजट उपबंध के विरूद्ध रु. 42,118.00 लाख तथा राज्यांश में रु. 1,23,030.77 लाख बजट उपबंध के विरूद्ध रु. 85,337.00 लाख व्यय किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना अंतर्गत केन्द्रांश में रु. 1,36,130.69 लाख, राज्यांश में रु. 63,177.49 लाख का उदव्यय प्राप्त है।

- **सुधा दूध** :- आँगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 3-6 वर्ष के स्कूल पूर्व शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों को सुधा दुग्ध पाउडर दिया जाता है। आँगनबाड़ी केन्द्र में प्रति लाभुक 12 ग्राम सुधा दुग्ध पाउडर 100 मी.ली. पानी में घोल कर बच्चों को पिलाया जाता है।

- **फोर्टीफायड चावल** :- द्वितीय त्रैमासिक में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार से 5,040 टन एवं तृतीय त्रैमासिक में 46,129 मीट्रिक टन फोर्टीफायड चावल का आवंटन WBNP के अंतर्गत प्राप्त हुआ है, जिसे उठाव कराने हेतु जिलावार उप आवंटित कर दिया गया है।

- **राष्ट्रीय पोषण मिशन (पोषण अभियान)** :- बच्चों की स्कूल पूर्व शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य में अपेक्षित सुधार, सामूहिक सहभागिता, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के माध्यम से लाभार्थियों को बेहतर सेवा प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना अंतर्गत समय सीमा के अंदर कुपोषण के संकेतकों में कमी लाए जाने हेतु व्यापक एवं जन समुदाय सहभागिता से कार्यक्रमों का क्रियान्वयन राज्य के सभी 38 जिलों में किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजना अंतर्गत अबतक केन्द्रांश में रु.22,888.76 लाख बजट उपबंध के विरूद्ध रु. 4,594.00 लाख तथा राज्यांश में रु. 5,722.20 लाख बजट उपबंध के विरूद्ध रु. 843.00 लाख व्यय किया गया है।
वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना अंतर्गत केन्द्रांश में रु. 23,066.34 लाख, राज्यांश में रु. 3,066.58 लाख का उदव्यय प्राप्त है।

योजना का मुख्य उदेश्य :

समाज कल्याण विभाग के नेतृत्व में विभिन्न विभागों यथा स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायती राज, लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण, खाद्य एवं उपभोक्ता, ग्रामीण, कृषि एवं संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर समन्वित कार्य योजना का निर्माण कर वर्ष 2022 तक 0-6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों एवं माहिलाओं में व्याप्त कुपोषण के विभिन्न प्रकार को समुदाय आधारित कार्यक्रमों को जन आंदोलन का रूप देकर तय समय सीमा के अंदर निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना है।

बच्चों के कुपोषण के संकेतकों यथा नाटापन, दुबलापन, अल्पवजन एवं जन्म के समय कम वजन के बच्चों के दर में प्रतिवर्ष 2 प्रतिशत एवं बच्चों, किशोरी एवं महिलाओं के एनीमिया दर में प्रति वर्ष 3 प्रतिशत की कमी लाने में संयुक्त रूप से प्रयास किये जाने हैं।

पोषण अभियान के अंतर्गत समेकित बाल विकास सेवाओं एवं कुपोषण के सभी संकेतकों एवं गतिविधियों का ससमय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु सभी आँगनवाड़ी केंद्रों को स्मार्टफोन के द्वारा जोड़कर पोषण ट्रेकर के माध्यम से परियोजना, राज्य एवं केन्द्र स्तर तक हर दिन की अद्यतन स्थिति का मूल्यांकन किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में योजना अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य संपादित किये गये हैं :

आई.सी.डी.एस. सेवाओं की गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार लाने हेतु एक सशक्त, सक्षम एवं सुगम अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण प्रणाली राज्य के सभी 38 जिलों में सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा रहा है। पोषण ट्रेकर के माध्यम से आँगनवाड़ी केन्द्रों पर होने वाले गतिविधियों का संधारण मोबाईल-ऐप के द्वारा किया जा रहा है। डैसबोर्ड के माध्यम से सभी स्तरों पर आँगनवाड़ी केन्द्रों द्वारा की जाने वाली गतिविधि का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सुगमतापूर्वक किया जा रहा हैं।

समुदाय में पोषण के प्रति जागरूकता एवं व्यवहार में परिवर्तन कर स्वस्थ आदतों को अपनाये जाने हेतु क्रमिक रूप से 'सतत क्षमता विकास' पद्धति के तहत क्रमिक क्षमता विकास प्रक्रिया (ILA) अंतर्गत Module-1 से 21 तक का क्रियान्वयन राज्य के सभी 38 जिलों में सम्पादित कर लिया गया है। इस गतिविधि से क्षेत्रीय स्तर पर आँगनवाड़ी सेविकाओं, आशा एवं ANM का क्षमतावर्धन किया गया है, जिसके कारण उनकी कार्य कुशलता में बढोतरी हुई है।

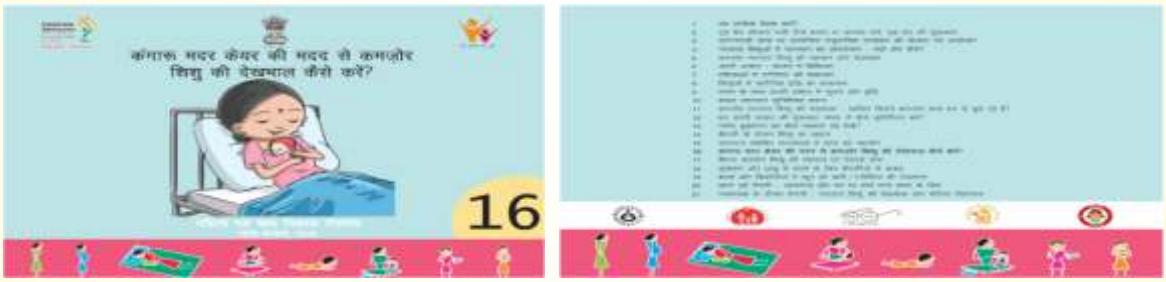

क्रमिक क्षमता विकास हेतु चित्र युक्त डिजाइन Module1 -की सूची 21

समुदाय आधारित गतिविधि के अन्तर्गत बच्चों में होने वाले कुपोषण की दर में कमी लाने के लिए प्रत्येक माह के 19 वीं तिथि को ''अन्नप्राशन'' एवं मातृ पोषण व उनसे होने वाले शिशु के बेहतर पोषण के लिए प्रत्येक माह के 7वीं तारीख को ''गोदभराई'' दिवस का आयोजन किया जाता है। कोविड-19 के वैश्विक महामारी के कारण दिए जाने वाले सभी सेवाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ा हैं, इस महामारी के दौरान आँगनवाड़ी सेविका के द्वारा गृह भ्रमण के माध्यम से संबंधित परामर्श एवं सेवाओं को सुरक्षा के मानकों का पालन करते हुए सेवा उपलब्ध कराई गई तथा साथ ही उपरोक्त दोनों गतिविधि (अन्नप्राशन एवं गोदभराई) को किया गया।

- **राष्ट्रीय पोषण माह 2021 :-** पोषण अभियान के अंतर्गत कुपोषण के खिलाफ जन आंदोलन एवं समुदाय में व्यापक जागरूकता हेतु निदेशालय द्वारा वर्ष 2018 से सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। वर्ष 2021 में कोविड-19 के वैश्विक महामारी के कारण संक्रमण सुरक्षा के मानकों को ध्यान मे रखते हुए पोषण वाटिका पोषण के लिए पौधारोपण अभियान एवं कुपोषित बच्चों की पहचान एवं प्रबंधन थीम पर आधारित कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें मुख्य रूप से आँगनवाड़ी केंद्रों पर उपलब्ध जमीन पर साग-सब्जी के लिए पौधारोपण, आभासी प्रशिक्षण सेमीनार, पोषण रथ एवं पोषण परामर्श केंद्र का संचालन एवं वृद्धि निगरानी के माध्यम से जागरूकता का कार्य किया गया, जिसमें राज्य के अंदर कुल 2.18 करोड़ गतिविधि आयोजित की गई जिससे कुल 1,42.06 करोड़ लोग शामिल होकर लाभान्वित हुए।

- **नवाचार अभिनव प्रयोग :-** अग्रगामी परियोजना के रूप में राज्य में 11 अभिनव प्रयोग किये जा रहे हैं, जिसमें पोषण अभियान के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अति कुपोषित बच्चों का समुदाय स्तर पर प्रबंधन, पोषण वाटिका के द्वारा स्वस्थ एवं पोषित खाद्य सामग्री की उपलब्धता, लाभार्थी तक पहुँच, समुदाय रेडियो के माध्यम से जन-सामान्य तक पोषण के संदेशों को पहुँचाना एवं बच्चों में उपरी आहार का बढ़ावा देने हेतु स्थानीय स्तर पर उपलब्ध खाद्य सामग्री पर जागरूकता जैसे विषयों पर अभिनव प्रयोग किये जा रहे हैं। यह अभिनव प्रयोग राज्य के 10 जिलों में क्रियान्वित है।

- **राष्ट्रीय पोषण मिशन (NNM) अंतर्गत कार्ययोजना :-**

पोषण ट्रेकर :- पोषण अभियान के तहत राज्य में संचालित सभी गतिविधियों से संबंधित प्रतिवेदन का संधारण आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा मोबाईल ऐप के माध्यम से शत-प्रतिशत किया जाना है। आँगनवाडी केन्द्रों में प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि लाने हेतु पोषण ट्रैकर मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अनुश्रवण किया जाना है। लाभुकों को पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में लगभग 9629617 लाभुकों को जोड़ा जा चुका है।

e-ILA का प्रशिक्षण: स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधित 21 मॉडयूलों को सुगमतापूर्वक उन्मुखीकरण के लिए डिजिटल किया गया है, जिससे राज्य के सभी महिला पर्यवेक्षिकाओं एवं आँगनवाड़ी सेविकाओं को स्मार्ट फोन में e-ILA एप के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा चुका है।

समुदाय आधारित गतिविधि (CBE) :- समुदाय आधारित गतिविधि के अंतर्गत प्रत्येक आँगनवाड़ी केन्द्र में प्रतिमाह 19वीं तारीख को अन्नप्रासन एवं 07वीं तारीख को गोदभराई गतिविधि का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत गर्भवती एवं धात्री माताओं को बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित परामर्श प्रदान किया जाता है ताकि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर

को कम किया जा सके। कोविड-19 के प्रभाव के कारण आगामी वर्षों में भी सरकार द्वारा निर्गत कोविड-19 के सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए समुदाय आधारित कार्यक्रम का आयोजन किया जाना प्रस्तावित हैं।

प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मिडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार :- पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित संदेशों को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं दीवाल लेखन के माध्यम से जन सामान्य तक ग्रामीण स्तर तक पहुँचाया जा रहा है। आगामी वर्षों में भी जागरूकता व जन आंदोलन हेतु प्रचार-प्रसार का कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

पोषण अभियान अंतर्गत कार्यरत मानवबल :-

- **राज्य कार्यक्रम प्रबंधन ईकाई** (SPMU) में 17 सलाहकार/ सहयोगी/ लेखापाल/ अन्य कर्मी कार्यरत है।
- **जिला कार्यक्रम प्रबंधन ईकाई** (DPMU) :- इसके अंतर्गत प्रत्येक जिलों में एक जिला समन्वयक एवं एक जिला परियोजना सहायक के नियोजन का प्रावधान है, जिसमें 69 जिला समन्वयक/जिला परियोजना सहायक कार्यरत है।
- **प्रखंड परियोजना प्रबंधन इकाई** :- प्रत्येक परियोजना में एक प्रखंड समन्वयक एवं प्रखंड परियोजना सहायक का प्रावधान है, जिसमें 854 समन्वयक/सहायक कार्यरत हैं, शेष का नियोजन प्रक्रियाधीन है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) :- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात क्रमशः 60:40 है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती/धातृ महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाना तथा गर्भावस्था के दौरान हुए Wage Loss के विरूद्ध उन्हें आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत नगद राशि का हस्तांतरण सीधे लाभार्थी के आधार से संबद्ध बैंक/पोस्ट ऑफिस खाता में DBT के माध्यम से किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत सभी गर्भवती/धातृ महिलाओं को प्रथम जीवित संतान हेतु सशर्त नगद लाभ पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से रू. 5000/- रुपये का भुगतान तीन किस्तों में क्रमश: रू.1,000/-, रू.2,000/- एवं रू.2,000/- की दर से किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में अबतक इस योजना अन्तर्गत केन्द्रांश में रू. 2,337.86 लाख के विरूद्ध रू. 74.00 लाख, राज्यांश में रू. 22,904.11 लाख बजट उपबन्ध के विरूद्ध रू. 12,673.00 लाख का व्यय किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना अन्तर्गत केन्द्रांश में रू. 2,934.29 लाख तथा राज्यांश में रू. 6,956.20 लाख का उदव्यय प्राप्त है।

किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (SAG) :- किशोरियों के सर्वांगीण विकास, कुपोषण की पीढ़ीगत कुचक्र को तोड़ने एवं जीवन चक्र की रणनीति को स्वस्थ बनाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना 'सबला' बिहार राज्य में वर्ष 2011 से 12 जिलों में लागू है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में इसका नाम बदलकर किशोरी बालिकाओं के लिए योजना-SAG कर दिया गया एवं इसे केवल 11-14 वर्ष की स्कूल नहीं जाने वाली किशोरियों के लिए सीमित करते हुए राज्य के सभी 38 जिलों में लागू किया गया है। योजना का मुख्य उद्देश्य किशोरियों को सहयोग प्रदान कर स्वास्थ्य, पोषण एवं शिक्षा के स्तर में सुधार करना है, ताकि वे आत्मनिर्भर और जागरूक बन सके।

इस योजना का निम्नलिखित उद्देश्य है :-

- किशोरियों को आत्म विकास एवं सशक्त बनाने में सहयोग करना।
- पोषण एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना।
- स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण शिक्षा के द्वारा उन्हें जागरूक बनाना।
- विद्यालय से बाहर के किशोरियों को औपचारिक शिक्षा तंत्र में पुनः वापस लाना अथवा वैकल्पिक शिक्षा कौशल विकसित करना।
- इनकी गृह आधारित कौशल और जीवन कौशल का विकास करना।
- उपलब्ध लोक सेवाओं जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्रामीण अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डाकघर, बैक, पुलिस स्टेशन आदि से संबंधित जानकारी/मार्गदर्शन देना।

  इस योजना का क्रियान्वयन समेकित बाल विकास परियोजना (आई.सी.डी.एस.) की आँगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से किया जाना है। इसके अन्तर्गत लाभुकों (11-14 वर्ष की स्कूल नहीं जाने वाली किशोरी बालिका) को पोषण एवं गैर पोषण मद अन्तर्गत निम्न सेवाएँ प्रदान की जाती है। पोषण मद (रू0 9.50/- प्रतिदिन प्रति लाभार्थी की दर से 600 किलो कैलोरी एवं 18-20 ग्राम प्रोटीनयुक्त पोषण सामाग्री माह में 25 दिन) एवं गैर पोषण मद (आयरन फोलिक एसिड सम्पूर्ण स्वास्थ्य जाँच एवं रेफरल सेवाएँ आदि) सेवाएँ प्रदान किया जाना है।
- सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि 11-14 वर्ष की किशोरी बालिकाओं का नामांकन स्कूल में करा दिया गया है। इस कारण जिला अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या शून्य है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में अबतक इस योजना अन्तर्गत केन्द्रांश में रू. 450.01 लाख के विरूद्ध रू. 148.00 लाख, राज्यांश में रू. 450.02 लाख के विरूद्ध रू. 204.00 लाख का व्यय किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना अन्तर्गत केन्द्रांश में रू. 0.82 लाख तथा राज्यांश में रू.0.60 लाख का उदव्यय प्राप्त है।

आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण योजना :- राज्य अन्तर्गत आँगनवाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण आई.सी.डी.एस. (समाज कल्याण विभाग) एवं मनरेगा योजना (ग्रामीण विकास विभाग) के अभिसरण से ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। भारत सरकार के अनुसार आँगनवाड़ी केन्द्र भवन निर्माण हेतु कुल रू. 7.00 लाख निधारित है, जिसमें रू. 5.00 लाख मनरेगा (ग्रामीण विकास विभाग) के द्वारा एवं रू. 2.00 लाख आई.सी.डी.एस. के द्वारा व्यय किया जाता है। आई0सी0डी0एस0 से दी जाने वाली राशि रू. 2.00 लाख में से रू. 1.00 लाख भारत सरकार द्वारा आँगनवाड़ी केन्द्र भवन निर्माण पूर्ण होने के पश्चात प्रतिपूर्ति की जाती है। इस योजना के लिए भारत सरकार के अनुसार व्यय अनुपात क्रमश 50:50 निर्धारित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजना अन्तर्गत केन्द्रांश में रू. 1000.01 लाख, राज्यांश में रू. 1000.01 लाख एवं राज्य योजना अन्तर्गत 0.02 लाख बजट उपबंध है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना अन्तर्गत केन्द्रांश में रू. 1200.00 लाख, राज्यांश में रू. 0.01 लाख एवं राज्य योजना अन्तर्गत 0.02 लाख का उदव्यय प्राप्त है।

शौचालय एवं पेयजल सुविधा : राज्य अन्तर्गत संचालित कुल 112094 आँगनवाड़ी केन्द्रों के विरूद्ध सभी संचालित 112094 केन्द्रों पर शौचालय एवं पेयजल सुविधा उपलब्ध है। इन संचालित 112094 आँगनवाड़ी केन्द्रों में से 26097 आँगनवाड़ी केन्द्र अपना भवन, 74325 आँगनवाड़ी केन्द्र किराये के भवन तथा शेष आँगनवाड़ी केन्द्र विद्यालय एवं अन्य सरकारी भवन में संचालित हैं।

मॉडल आँगनवाड़ी केन्द्र भवन :- राज्य अन्तर्गत सभी जिलों में कुछ आँगनवाड़ी केन्द्रों को मॉडल आँगनवाड़ी केन्द्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके तहत राज्य में कुल 1190 आँगनवाड़ी केन्द्र को मॉडल आँगनवाड़ी केन्द्र के रूप में विकसित किया जा चुका है।

राष्ट्रीय क्रेच स्कीम (NCS) :-

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की कामकाजी महिलाओं के 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों के उचित देखभाल हेतु क्रेच (Creche) की स्थापना किया जाना है जिसके तहत कामकाजी महिलाओं के बच्चों को Day-Care शयन सुविधा के साथ प्रारम्भिक शिक्षा एवं बौद्धिक शारीरिक तथा मानसिक विकास स्वास्थ्य जाँच एवं टीकाकरण, वृद्धि निगरानी तथा पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजना अन्तर्गत केन्द्रांश में रू. 60.00 लाख एवं राज्यांश में

रू. 40.00 लाख का उदव्यय/बजट उपबन्ध प्राप्त है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना अन्तर्गत केन्द्रांश में रू. 0.01 लाख एवं राज्यांश में रू.0.01 लाख का उदव्यय प्राप्त है।

राष्ट्रीय क्रेच स्कीम अंतर्गत राज्य के 25 शहरी परियोजना (प्रति परियोजना 02 क्रेच केन्द्र) में कुल 50 क्रेच केन्द्र खोलने की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त है।

स्कूल पूर्व शिक्षा – प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) : वर्ष 2021 में निम्नलिखित गतिविधियाँ करायी गयी :-

आँगनवाड़ी केन्द्रों का मॉडल आँगनवाड़ी केंद्र के रूप में उत्क्रमण (आँगनवाड़ी केन्द्रों का मॉडल आँगनवाड़ी):-

बिहार में कुल 26097 आँगनवाड़ी केंद्र भवन में चल रहे हैं। ICDS बिहार ने आँगनवाड़ी केंद्र अंतर्गत 3-6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए बाल अनुकूल वातावरण बनाने हेतु मॉडल आँगनवाड़ी केन्द्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन केन्द्रों पर बच्चे अपने परिवेश से सीख सकें और अनुभव कर सकें। यह बच्चों को समग्र विकास में मदद करता है। इन केन्द्रों पर बच्चों हेतु शिक्षण एवं खेल सामग्री, लर्निंगकार्नर (सीखने का कोना), ECCE पाठ्यक्रम से संबंधित दीवारों पर पेंटिंग, निरंतर बिजली की आपूर्ति के लिए एलईडी मॉनिटर / टेलीविजन इन्वर्टर, शौचालय की व्यवस्था और पीने के पानी आदि की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।

कोविड के दौरान आँगनवाड़ी केंद्र पर ICDS द्वारा किये गए प्रमुख गतिविधियाँ :- 03 से 06 साल के बच्चों की माताओं अथवा देखभालकर्ताओं की निगरानी में दैनिक भ्रमण के अंतर्गत अनुशंसित दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए गतिविधि का प्रदर्शन एवं माताओं अथवा पालनकर्ता द्वारा गतिविधियाँ करायी गयी। ICDS निदेशालय के द्वारा ECCE गतिविधियों को कराने हेतु ECCE से सम्बंधित वीडियो, बालगीत, कहानियों का लिंक जिन्हें विभाग के वेबसाइट एवं

www.icdsbih.gov.in पर गूगल ड्राइव के माध्यम से शेयर किया गया। राज्य स्तर से WhatsApp एवं Telegram के माध्यम से भेजे जा रहें विडियो एवं गतिविधियों की चर्चा आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ता द्वारा माता-पिता के साथ की गयी। आँगनवाड़ी सेविका गृह भ्रमण के दौरान माता-पिता, बच्चों एवं देखभाल कर्ताओं के साथ ECCE की गतिविधियों को सहज रूप से करने हेतु ICDS बिहार द्वारा यूनिसेफ बिहार के सहयोग से ECCE गतिविधि कैलेंडर एवं "मिस्ड कॉल दो कहानी सुनो" आदि सेवाओं की शुरुआत की गयी।

बौद्धिक एवं शारीरिक विकास हेतु माता-पिता का बच्चों के प्रति उत्तरदायी व्यवहार (Responsive parenting) के द्वारा घर में उपलब्ध वस्तुओं एवं ICDS निदेशालय के वेबसाइट पर उपलब्ध ECCE विडियो से गतिविधि कराने हेतु राज्य स्तर से ECCE e-ILA एवं अभिभावकों हेतु सजगता कार्यक्रम की शुरुआत की गयी।

ICDS बिहार को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) के क्षेत्र में किये जा रहे कार्य को लेकर प्रतिष्ठित SKOCH अवार्ड से सम्मानित किया गया।

ICDS द्वारा BBOSE के सौजन्य से आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु 10वीं, 12वीं एवं ECCE डिप्लोमा / सर्टिफिकेट कोर्स का प्रारंभ अप्रैल 2021 में किया गया। प्रथम फेज में 30,000 आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का उन्मुखीकरण शुरू किया गया है।

- **आँगनवाड़ी केन्द्र के बच्चों के लिए पोशाक योजना:-**

यह शत-प्रतिशत राज्य योजना है। राज्य के बाल विकास परियोजनाओं के अंतर्गत कार्यरत सभी आँगनवाड़ी केन्द्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे 3-6 वर्ष आयु के सभी बच्चों को रु. 400/- वार्षिक लागत की दर पर पोशाक की राशि DBT के माध्यम से दिया जाना है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजना अंतर्गत अबतक 17785.68 लाख बजट उपबंध के विरूद्ध 5864.95 लाख का व्यय किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु.11,919.21 लाख का उपबन्ध प्राप्त है।

- **एम.आई.एस. प्रणाली :-**

आई.सी.डी.एस. योजना के अन्तर्गत मैनेजमेंट इनफोरमेशन सिस्टम को सुदृढ़ करने हेतु राज्य स्तर पर डाटा सेन्टर की स्थापना की गई है। जिला/परियोजना स्तर पर संबंधित कार्यालयों में कम्प्यूटर की व्यवस्था की गयी है। साथ ही उक्त कार्यालयों में कम्प्यूटर के संधारण हेतु बेल्ट्रॉन/ जिला स्तरीय पैनल से डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की सेवाएँ उपलब्ध करायी गयी है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में अबतक रू. 2000.00 लाख के विरूद्ध रू. 1384.00 लाख का व्यय किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू. 2200.00 लाख का उदव्यय प्राप्त है।

आँगन एप्लीकेशन :-

आँगन एप्लीकेशन एक मोबाइल आधारित सॉफ्टवेयर है, जिसे बिहार के सभी ऑगनबाड़ी की निरीक्षण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए विकसित किया गया है।

- यह एप्लीकेशन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका द्वारा आँगनबाड़ी केन्द्रों की नियमित जाँच में सहायता करने के उद्देश्य से किया गया है।
- बिहार के अंतर्गत आने वाले आँगनवाड़ी केन्द्रों में पहले से निबन्धित लाभार्थियों को कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए आँगनवाड़ी के माध्यम से दिए जाने वाले गर्म पका भोजन एवं THR के स्थान पर समतुल्य राशि का सीधे बैंक खाता में भुगतान हेतु ऑनलाइन निबंधन भी आँगन एप्लीकेशन पर किया गया और DBT के माध्यम से सुखा राशन के समतुल्य नकद राशि का भुगतान उनके बैंक खाते में PFMS के माध्यम से किया गया है।
- सेविका एवं सहायिका की उपस्थिति विवरणी भी आँगन एप्लीकेशन पर अपलोड किया जाता है। जिसके आधार पर PFMS के माध्यम से सभी सेविकाओं और सहायिकाओं का मानदेय भुगतान राज्य स्तर से ही किया जाता है।

सामाजिक अंकेक्षण :-

आँगनवाड़ी केन्द्रों के क्रियाकलापों एवं कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु सामाजिक अंकेक्षण एक कारगर उपाय है। इसके अन्तर्गत समुदाय के द्वारा आँगनबाड़ी केन्द्रों का लेखा-जोखा लिया जाता है, जो सशक्तिकरण का प्रभावशाली माध्यम है। समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्गत संशोधित सामाजिक अंकेक्षण मार्गदर्शिका के अनुसार वर्ष में दो बार 20 जून एवं 20 दिसम्बर को सामाजिक अंकेक्षण किये जाने का प्रावधान किया गया है।

- सामाजिक अंकेक्षण हेतु विचारणीय बिंदु
- आँगनबाड़ी विकास समिति की सहभागिता।
- गृह भ्रमण की समीक्षा।
- बच्चों का टीकाकरण एवं पोषण की स्थिति की समीक्षा ।
- कुपोषित एवं अतिकुपोषित बच्चों की समीक्षा।
- स्कूल पूर्व शिक्षा की क्रियाशीलता की समीक्षा।
- आँगनबाड़ी केन्द्रों पर स्थापित नियम के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा।

महिला प्रक्षेत्र

महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक प्रगति के लिए तथा उन्हें राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा में लाने, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों और राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों में लैंगिक समानता के सिद्धांतों तथा राज्य सरकार के सुशासन के कार्य सूची में दी गयी सर्वोच्च प्राथमिकता के अनुरूप राज्य में बिहार राज्य महिला सशक्तिकरण नीति-2015 लागू की गयी है।

नीति के उद्देश्यों की पूर्ति की श्रृंखला में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की उपलब्धि के संबंध में स्थिति निम्न प्रकार है :-

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना :- इस योजना का उद्देश्य भ्रूण कन्या हत्या रोकना, जन्म निबंधन तथा कन्या के जन्म को प्रोत्साहित करना, बालिका शिशु-मृत्यु-दर को कम करना, बाल विवाह पर अंकुश लगाना इत्यादि है। इस योजना के तहत कन्या शिशु के जन्म पर शिशु के माता/ पिता /अभिभावक के बैंक खाता में रूपये 2000/- (दो हजार) दी जायेगी तथा कन्या शिशु के 01 वर्ष पूरे होने पर तथा आधार पंजीकरण किये जाने के बाद रूपये 1000/- (एक हजार) उक्त खाते में पुन: देय होगा। यह लाभ दो कन्या शिशु तक ही देय होगा।

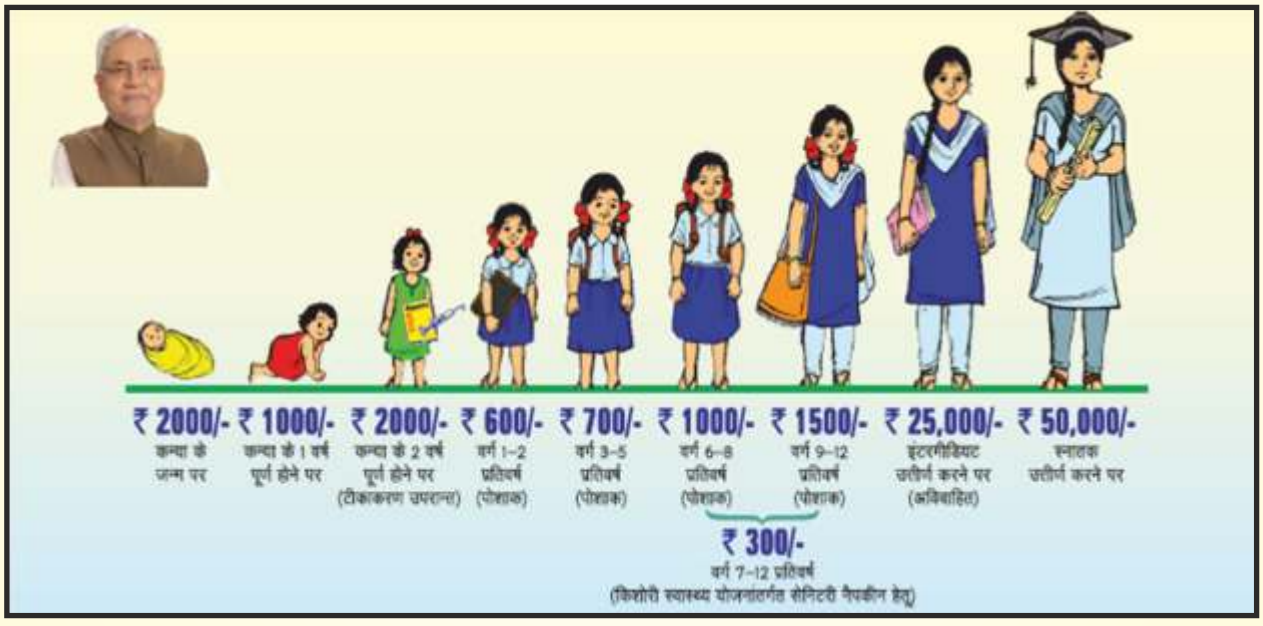

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत भुगतान की अद्यतन स्तिथि		
क्र.सं.	**उम्रवार सं.**	**अब तक कुल भुगतान**
1	**0-1 वर्ष की बालिकाएँ**	553451
2	**1-2 वर्ष की बालिकाएँ**	65679

वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजना अन्तर्गत 8000.00 लाख रू0 के योजना उदव्यय/बजट उपबंध है।

आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना अन्तर्गत 8000.00 लाख रू0 का योजना उदव्यय प्राप्त है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना :- इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवार को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना, विवाह के निबंधन को प्रोत्साहित करना, कन्या शिक्षा को प्रोत्साहित करना एवं बाल विवाह को रोकना है। इस योजना के तहत बी0पी0एल0 परिवार अथवा ऐसे अन्य परिवार जिनकी आय 60,000/- (साठ हजार) रूपये तक हो, की कन्या को विवाह के समय मात्र 5000/- (पाँच हजार) रूपये का भुगतान कन्या के नाम DBT द्वारा किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजना अन्तर्गत 5050.00 लाख रू0 के योजना उदव्यय/बजट उपबंध के विरूद्ध अब तक 2005.90 लाख रू0 का व्यय किया गया है।

आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना अन्तर्गत 5674.00 लाख रू0 का योजना उदव्यय प्राप्त है।

राज्य सदन एवं संरक्षण आश्रय गृह :- राज्य सरकार द्वारा पटना जिला में एक उत्तर रक्षा गृह संचालित है। इस गृह के बेहतर प्रबंधन के मद्देनजर एवं आवासिनों को गुणवत्तापूर्ण देखभाल एवं प्रशिक्षण इत्यादि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दिनांक-16.10.2014 को उत्तर रक्षा गृह, गायघाट, पटना की विस्तारित इकाई नाजरथ अस्पताल सोसायटी, मोकामा का शुभारंभ किया गया है। इस क्रम में नाजरथ अस्पताल सोसायटी, मोकामा एवं समाज कल्याण निदेशालय के मध्य एक मेमोरेन्डम ऑफ अन्डरस्टैंडिग (MoU) हस्ताक्षरित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजना अन्तर्गत 203.21 लाख रू0 के योजना उदव्यय/बजट उपबंध के विरूद्ध अब तक 113.67 लाख रू0 का व्यय किया गया है।

आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना अन्तर्गत 220.19 लाख रू0 का योजना उदव्यय प्राप्त है।

महिला एवं बाल विकास निगम

राज्य सरकार द्वारा महिलाओं एवं किशोरियों के विकास तथा सशक्तिकरण के लिए राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय के आलोक में 28 नवम्बर 1991 को महिला विकास निगम का गठन किया गया था। यह एक स्वायत्तशासी सरकारी निकाय है, जिसका उद्देश्य निम्नलिखित है :-

- महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन,
- महिलाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास एवं प्रोत्साहन,
- महिला अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर जागरूकता,
- दीर्घकालीन आजीविका निर्माण का प्रोत्साहन,
- सांस्कृतिक कौशल को प्रोत्साहन,
- महिलाओं की संस्थाओं का गठन, पोषण एवं क्षमता विकास,
- सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं के साथ संलग्नता।

मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना :- महिलाओं एवं किशोरियों के समेकित विकास एवं सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना संचालित है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजना अन्तर्गत 6500.00 लाख रू0 के योजना उद्व्यय/बजट उपबंध के विरूद्ध अब तक 2145.00 लाख रू0 का व्यय किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में के लिए रू0 6500.00 लाख का योजना उद्व्यय प्राप्त है।

इस योजना के निम्नांकित घटक हैं :-

मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना अन्तर्गत सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि :-

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना एवं संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के प्रारम्भिक परीक्षा में उतीर्ण होने वाले महिला अभ्यार्थी को मुख्य परीक्षा की बेहतर तैयारी करने, उन्हें प्रोत्साहित करने एवं इस प्रकार सिविल सेवा में भाग लेने के लिए उत्प्रेरित करने के लिए उनके सशक्तिकरण के उद्देश्य से 'सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि' प्रदान किया जाना है।

सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के प्रारम्भिक परीक्षा में वैसे सभी अभिवंचित महिला अभ्यर्थी के उतीर्ण होने पर उन्हें मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की अग्रतर तैयारी हेतु एकमुश्त क्रमश: 50,000/- (पचास हजार रू०) तथा 1,00,000/- (एक लाख रू०) की '**सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि**' देय है। वर्त्तमान में कुल 20 लाभुकों को इस योजना का तहत लाभ दिया गया है।

वन स्टॉप सेंटर-सह-महिला हेल्पलाईन :-

घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को परामर्श के माध्यम से घर को टूटने से बचाने, आवश्यकता के अनुसार थानों में प्राथमिकी दर्ज कराने में मदद, विधिक सहायता आदि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के सभी 38 जिलों में जिला पदाधिकारी के अधीन महिला हेल्प लाईन की स्थापना की गई है तथा इसका संचालन किया जा रहा है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा वन स्टॉप सेंटर के संचालन हेतु प्राप्त निदेश के आलोक में योजना को पुनर्गठित किया गया है तथा इसे वन स्टॉप सेंटर - सह - महिला हेल्प लाईन के नाम से संचालित किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में पंजीकृत केसों की कुल संख्या 6360 एवं निष्पादित केसों की कुल संख्या 5275 (विगत वर्ष के लंबित केस सहित) है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दिसंबर माह तक महिला हेल्प लाईन-सह-वन स्टॉप सेंटर में पंजीकृत केसों की कुल संख्या 5213 एवं निष्पादित केसों की कुल संख्या 4280 है।

अल्पावास गृह :- घरेलू हिंसा अथवा अन्य कारणों से किसी महिला अथवा किशोरी को अपने घर में आवासन की असुविधा होने की स्थिति में उन्हें अल्पकालीन आवास की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राज्य के सभी जिलों में अल्पावास गृह की स्थापना एवं संचालन की स्वीकृति मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत दी गई है, जिसके आलोक में वर्तमान समय में राज्य के 12 जिलों में अल्पावास गृह का संचालन कई सरकारी संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में अल्पावास गृहों में पंजीकृत संवासिनों की कुल संख्या 506 एवं पुनर्वासित संवासिनो की कुल संख्या 491 (विगत वर्ष के लंबित) है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दिसम्बर तक अल्पावास गृह में पंजीकृत संवासिनों की कुल संख्या 674 तथा पुनर्वासित संवासिनों की कुल संख्या (विगत वर्ष के लंबित) 670 है।

रक्षा गृह :- मानव पणन की शिकार अथवा घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के सुरक्षित आवासन एवं पुनर्वासन के उद्देश्य से मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत रक्षा गृह का संचालन तोमर हाउस, जानकी पुरम, विधिनगर, गोला रोड, दानापुर, पटना में किया जा रहा है।

योजना से कुल 97 महिलाओं और किशोरियों को लाभ प्राप्त हुआ है तथा वर्तमान में 14 संवासिन रक्षा गृह में रह रही है।

विशेष महिला कोषांग :- थानों में महिलाओं के लिए अनुकूल वातावरण के निर्माण, परामर्श तथा प्राथमिकी दर्ज कराने में महिलाओं एवं किशोरियों को सहयोग देने हेतु पटना जिला के 23 पुलिस थानों में विशेष महिला कोषांग की स्थापना की गई है। निगम द्वारा प्रत्येक विशेष महिला कोषांग में एक परामर्शी की नियुक्ति की गई है।

इनमें कुल 15406 केस निबंधित है तथा 14755 केसों का परामर्श द्वारा निष्पादित किया गया है। कुल लंबित केसों की संख्या-748 है।

महिला एवं बाल विकास निगम तथा टाटा इंस्टीच्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेज (TISS) के सहयोग से राज्य के 6 जिलों में विभिन्न थानों में महिला विशेष कोषांग का सचांलन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष में 353 केस पंजीकृत किये गए है जिनका समुचित अनुपालन किया जा रहा है।

सामाजिक पुनर्वास कोष :- मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के जरूरतमन्द महिलाओं एवं किशोरियों के पुनर्वास के लिए एक कोष की व्यवस्था की गई है, जिसे सामाजिक पुनर्वास कोष के

नाम से जाना जाता है। इसके लिए राज्य के 38 जिलों को दो समूहों यथा - सोर्स तथा डेस्टिनेशन में वर्गीकरण किया है। सोर्स जिले के जिला पदाधिकारी के पास 2.25 लाख रू0 एवं डेस्टिनेशन वाले जिला पदाधिकारियों को 2.85 लाख रू0 की दर से राशि उपलब्ध कराई जाती है। इस राशि से जिला पदाधिकारी द्वारा अधिकतम 15000 रू0 तक किसी पीड़ित महिला या किशोरी को अनुदान अथवा ऋण के रूप में भुगतान का प्रावधान है। सामाजिक पुनर्वास कोष से कुल 1142 लाभार्थियों को कुल रू0 55.23 लाख रू0 का भुगतान किया गया है।

पालनाघर :- यह एक ऐसी सुविधा है जिसमें कामकाजी माता-पिता अपने 05 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चे को अपने कार्य के दौरान छोड़ जाते हैं, तथा वहाँ बच्चे के सर्वांगींण विकास के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध होता है। यहाँ बच्चों को समूह में देखभाल की सुविधा दी जाती है, जिससे उनके व्यक्तित्व निर्माण के लिए भी एक सकारात्मक वातावरण प्राप्त होता है।

वर्तमान में तीन जगहों पर क्रेच का संचालन किया जा रहा है जो निम्नवत है :-

- समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार।
- कारा विभाग, मुख्य सचिवालय, पटना।
- विश्वेश्वरैया भवन, पटना

जिला महिला सशक्तिकरण कार्यालय हेतु भवन निर्माण :-

महिलाओं से संबन्धित योजनाओं के कार्यान्वयन, समन्वय, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन आदि के लिए राज्य के 37 जिलों में जिला महिला सशक्तिकरण कार्यालय हेतु भवन का निर्माण करने की योजना है। 30.44 लाख रूपये प्रति इकाई की दर से सम्प्रति 20 जिलों में जिला महिला सशक्तिकरण कार्यालय भवन का निर्माण किया गया है।

जेंडर रिसोर्स सेंटर :- जेंडर से संबन्धित विषयों पर प्रशिक्षण, अध्ययन एवं अनुसंधान आदि के साथ ही साथ जेंडर बजट के निर्माण में तकनीकी सहयोग के लिए महिला विकास निगम द्वारा एक जेंडर रिसोर्स सेंटर की स्थापना की गई है।

बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन अभियान :-

सरकार ने राज्य में व्याप्त बाल विवाह एवं दहेज़ प्रथा को गंभीरता से लिया है। बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक कुप्रथा है जिसका बच्चों के मानसिक, शारीरिक तथा आर्थिक नुकसान विभिन्न अध्ययन में प्रमाणित हो चुका है। अतः बाल विवाह और दहेज प्रथा के उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है।

महिला एवं बाल विकास निगम ने **उड़ान प्रोजेक्ट** के माध्यम से राज्य के वैसे 22 जिलों में जहाँ बाल विवाह के अधिक मामले आते है उन जिलों हेतु कार्य योजना के आधार पर काम किया जा रहा है।

महिला हेल्पलाईन नंबर 181 :- महिलाओं एवं किशोरियों को त्वरित सहयोग तथा रेफरल सुविधा उपलब्ध करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वित्त पोषण से महिला विकास निगम के मुख्यालय में महिला हेल्पलाईन नंबर 181 स्थापित किया गया है, जिसकी सेवाएँ 24*7 उपलब्ध है। इसमें कोई भी पीड़ित एवं प्रताड़ित और संकटग्रस्त महिला या किशोरी निःशुल्क फोन कॉल कर महिला हेल्प लाईन की सेवाएँ यथा - परामर्श, रेफरल और जानकारी प्राप्त कर सकती है। महिला हेल्प लाईन में कुल 60490 कॉल प्राप्त किया गया है, जिनमें से 20474 कॉल विभिन्न प्रकार के जानकारी जैसे कि बाल विवाह, दहेज़, साइबर क्राइम इत्यादि के लिए थे। कुल 463 केस पंजीकृत किये गए तथा 394 केस का निष्पादन किया गया।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ :- भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित यह योजना कन्या भ्रूण हत्या को रोकने एवं लिंगानुपात में संतुलन के लिए वैशाली जिला से प्रारंभ किया गया है। वर्तमान में यह बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए जन जागरूकता का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसमें बच्चियों के जन्म पर बधाई संदेश भेजने का कार्य किया जा रहा है। बिहार में एक विशेष पहल के तहत घर का नाम बेटी के नाम एक अभियान शुरू किया गया जिसे राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम नवाचार के रूप में पहचान मिली है। इस योजना के अंतर्गत जिला पदाधिकारी की देख रेख में टास्क फोर्स का गठन किया जाता है। टास्क फोर्स का गठन जिला से प्रखण्ड स्तर तक किया जा चुका है।

समेकित हस्तकरघा परियोजना :-

उद्यमी मेला :- महिला उद्यमियों द्वारा उत्पादित उत्पादों के बिक्री एवं प्रोत्साहन हेतु बिहार महिला उद्योग संघ द्वारा महिला एवं बाल विकास निगम के सहयोग से दिनांक 23 - 27 सितम्बर 2021 के बीच ज्ञान भवन, अशोका कन्वेंशन सेन्टर, गाँधी मैदान में उद्यमी मेला का आयोजन किया गया।

बिहारशरीफ़, नालंदा :- हस्तकरघा उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए स्वावलम्बन परियोजना के अन्तर्गत बिहारशरीफ की बुनकर महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित कर एक सहकारी समिति का गठन किया गया है, जिसे हस्तशिल्प महिला बुनकर स्वालम्बी सहकारी समिति लि०, बिहारशरीफ नालंदा के नाम से जाना जाता है। इसमें लगभग 2300 बुनकर परिवार की महिलाएँ जुडी हुई हैं। हस्तकरघा उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए रामचन्द्रपुर औद्योगिक प्रागंण में एक समेकित हस्तकरघा केन्द्र का निर्माण किया गया है, जिसमें 10 लूम लगाया गया है। इसके साथ ही यहाँ 02 वस्त्र प्रिंटिंग टेबल लगाया गया है, जिसके सहायता से कपडों पर प्रिंटिंग कार्य और प्रशिक्षण होना है।

आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कार्य योजना :-

- **उड़ान प्रोजेक्ट :-** महिला एवं बाल विकास निगम ने उड़ान प्रोजेक्ट के माध्यम से राज्य के वैसे 22 जिलों में जहाँ बाल विवाह के अधिक मामले आते हैं उन जिलों में कार्ययोजना के आधार पर कार्य किया जा रहा है। पंचायत स्तर कार्यकर्ता की नियोजन प्रक्रिया हेतु निविदा आमंत्रित की गयी है।
- **अल्पावास गृह की स्थापना :-** 12 जिलों में अल्पावास गृह का संचालन किया जा रहा है। अगले वित्तीय वर्ष में शेष 26 जिलों में अल्पावास गृह की स्थापना एवं संचालन किया जाना प्रस्तावित है।

- **रक्षा गृह :-** पटना जिला में 50 संवासिनों हेतु रक्षा गृह के संचालन हेतु निविदा प्रक्रियाधीन है। पीड़ित महिलाओं को पुनर्वासन हेतु बेहतर कार्य किया जा सकेगा।
- **महिला विशेष कोषांग की स्थापना एवं संचालन :-** 23 थानों में महिला विशेष कोषांग का संचालन किया जा रहा है। इसे राज्य के 210 अंचल थानों में विस्तार किया जाना है। इसके तहत परामर्शियों की नियुक्ति हेतु रोस्टर तय हो चुका है।

बिहार राज्य महिला आयोग

महिलाओं के अधिकार के संरक्षण हेतु बिहार राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1999 के द्वारा बिहार राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है। सितम्बर, 2001 से यह आयोग महिलाओं के हितों के लिए सतत प्रयत्नशील है। आयोग का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने, महिला प्रताड़ना तथा महिलाओं की समस्याओं के निराकरण करने एवं सामाजिक कुरीतियों इत्यादि के मामलों में महिलाओं को न्याय दिलाने का प्रयास करना है। महिलाओं को प्रभावित करनेवाले विद्यमान उपबंधों और विधियों का समय-समय पर पुनर्वलोकन करना और उनके बारे में संशोधन की अनुशंसा करना ताकि विधान में किसी कमी, अपर्याप्तता या कमजोरियों को ठीक करने हेतु सुधारात्मक विधायी अध्युपायों के संबंध में परामर्श देना भी आयोग का महत्वपूर्ण कृत्य है। आयोग महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों और महिलाओं से संबंधित विधियों के उल्लंघन के सभी मामलों को समुचित प्राधिकारों के समक्ष लाने का भी कार्य करती है।

विभागीय अधिसूचना 2087 दिनांक-24.10.2017 के द्वारा बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर श्रीमती दिलमणी मिश्रा एवं सदस्य के पद पर श्रीमती मंजू कुमारी, डॉ0 निक्की हेम्ब्रम, श्रीमती रजिया कामिल अंसारी, श्रीमती प्रतिमा सिन्हा, डॉ0 उषा विद्यार्थी, श्रीमती नीलम सहनी एवं श्रीमती रेणु देवी को मनोनीत किया गया था। वर्ष 2020 में आयोग में आवेदिकाओं द्वारा दिये गये 3053 आवेदन पर आयोग द्वारा सुनवाई की गयी। अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा 1618 आवेदनों पर सुनवाई पूर्ण करते हुए निष्पादन किया गया था तथा 1415 आवेदनों पर सुनवाई प्रक्रियाधीन है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में आवेदिकाओं द्वारा दिये गये 67 आवेदनों को संबंधित जिला के पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, कमजोर वर्ग, अपराध अनुसंधान विभाग, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार राज्य महिला आयोग के संधारणार्थ कुल रूपये 481.00 लाख का योजना उदव्यय/बजट उपबंध प्राप्त है जिसके विरूद्ध आयोग को अब तक कुल रू0 85.80 लाख उपलब्ध करा दिया गया है।

आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना अन्तर्गत 518.60 लाख रू0 का योजना उदव्यय प्राप्त है।

बाल संरक्षण प्रक्षेत्र की योजनाएँ

समेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS) :- बाल अधिकार, बाल संरक्षण एवं बाल कल्याण के लिए राज्य में समेकित बाल संरक्षण योजना (मिशन वात्सल्य) का क्रियान्वयन केन्द्र सरकार (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय), राज्य सरकार एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ समन्वय कर किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजना अन्तर्गत केन्द्रांश मद में रू. 3,799.98 लाख के विरूद्ध रू.607.86 लाख, राज्यांश में रू. 1,799.98 लाख बजट उपबन्ध के विरूद्ध रू.17,99.98 लाख का व्यय किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना अन्तर्गत केन्द्रांश में रू. 3,799.98 लाख तथा राज्यांश में रू. 2,999.98 लाख का उदव्यय प्राप्त है।

राज्य बाल संरक्षण समिति (SCPS) :- समेकित बाल संरक्षण योजना (मिशन वात्सल्य) अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु राज्य स्तर पर समाज कल्याण विभाग अंतर्गत कार्यरत राज्य बाल संरक्षण समिति (निबंधन संख्या-2143 एवं वर्ष-2011-12) की स्थापना की गयी है।

इसके अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित है :-

(क) राज्य दत्तकग्रहण संसाधन एजेंसी (SARA) :- आई०सी०पी०एस० योजना (मिशन वात्सल्य) अंतर्गत राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण कार्यरत है, जिसका मुख्य उद्देश्य अनाथ, परित्यक्त एवं अभ्यर्पित बच्चे जो अपने माता-पिता/वैधिक अभिभावक से पूर्ण रूप से अलग हो चुके हों, को देशीय एवं अंतर्देशीय दत्तकग्रहण के माध्यम से पुनः परिवार में एकीकृत कराना है एवं दत्तकग्रहण सलाहकार समिति को प्रशासकीय सहायता उपलब्ध कराना है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 110 बच्चे एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में अबतक कुल 51 बच्चों को कानूनी प्रक्रिया के द्वारा गोद लिया जा चुका है। दत्तकग्रहण की सम्पूर्ण प्रक्रिया www.cara.nic.in पर ऑनलाइन उपलब्ध है।

(ख) जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) :- जिला स्तर पर योजना के कार्यान्वयन एवं कार्यरत इकाईयों के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई कार्यरत है एवं इसके नोडल पदाधिकारी सहायक निदेशक, बाल संरक्षण हैं, जिनकी स्थायी नियुक्ति की जा चुकी है।

देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों हेतु संस्थान

- **बाल गृह (Children's Home) :-**

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा-50 के आलोक में 06 से 18 वर्ष आयु समूह के निराश्रित, परित्यक्त, परिवार विहीन बच्चों को उनके पुनर्वास (पारिवारिक पुनर्मिलन, दत्तक ग्रहण, फोस्टर केयर इत्यादि) तक आवासित करने के लिए बाल गृह एवं बालिका गृह का प्रावधान है।

संचालन इकाई	बाल गृह	बालिका गृह
राज्य सरकार द्वारा संचालित	2	01
जि0बा0सं0ई0 द्वारा संचालित	15	04
स्वयंसेवी संस्था द्वारा संचालित	06	06

- **विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान (Specialized Adoption Agency) :-**

दत्तकग्रहण कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं 06 वर्ष की आयु से नीचे अनाथ एवं परित्यक्त बच्चों को आवासन हेतु विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान का प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष	दत्तकग्रहण किये गये बच्चों की सं0
2021-22	(नवम्बर, 2021 तक) 51
2020-21	110
2019-20	121

संचालन इकाई	विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान
जि0बा0सं0ई0 द्वारा संचालित	16
स्वयंसेवी संस्था द्वारा संचालित	09

विधि विवादित बच्चों हेतु संस्थान :-

- **पर्यवेक्षण गृह (Observation Home)** :- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 47 के आलोक में, राज्य में विधि विवादित किशोरों के मामले की

सुनवाई तक आवासित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में 18 पर्यवेक्षण गृह का संचालन किया जा रहा है, जबकि 03 जिलों में पर्यवेक्षण गृह का संचालन प्रक्रियाधीन है।

- **विशेष गृह (Special Home) :-** किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 48 के आलोक में विधि विवादित किशोरों का दोष सिद्ध होने पर सुधार हेतु उन्हें विशेष गृह में रखने का प्रावधान है। इस आलोक में राज्य सरकार द्वारा एक विशेष गृह का संचालन (पटना जिला में) किया जा रहा है।
- **सुरक्षित स्थान (Place of Safety) :-** किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 49 के आलोक में सुरक्षित स्थान की स्थापना किये जाने का प्रावधान है। यहाँ वैसे विधि विवादित किशोरों को आवासित किया जाता है जिनकी आयु 16 वर्ष हो गई है तथा उनके द्वारा किया गया अपराध इतना गंभीर है कि बोर्ड को यह विश्वास है कि उस किशोर को विशेष गृह या पर्यवेक्षण गृह में रखा जाना न तो स्वयं उसके और न ही उस गृह में रहने वाले अन्य किशोरों के हित में है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा कुल 03 सुरक्षित स्थान संचालित है।

वैधानिक निकायों का गठन एवं संचालन

- **किशोर न्याय परिषद् (JJB) :-** जिला स्तर पर किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 4 के आलोक में प्रत्येक जिला में एक किशोर न्याय परिषद् गठित है। इसके प्रधान सदस्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा नामित प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी होते है एवं 2 सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, जिनमें 1 महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। वर्तमान में राज्य के सभी 38 जिलों में किशोर न्याय परिषद् गठित है।
- **बाल कल्याण समिति (CWC) :–** किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 27 के आलोक में राज्य के सभी जिले में बाल कल्याण समिति गठित है, जिसमें एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य होते हैं।

अन्य सेवाएँ एवं कार्यक्रम :-

- **चाइल्डलाईन (1098) सेवा :-** चाइल्ड लाईन देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से 24X7 आपातकालीन दूरभाष (डायल 1098) पहुँच सेवा है, जो उन्हें आपातकालीन एवं दीर्घ अवधि, देखरेख एवं पुनर्वास सेवाओं से जोड़ती है। वर्तमान में राज्य के 26 जिलों में चाइल्डलाईन की सेवा संचालित हैं।
- **चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम एवं एम.आई.एस. सिस्टम :-** गुमशुदा एवं बरामद बच्चों को उनके परिवार से मिलाने हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा NIC के सहयोग से एक वेब पोर्टल (trackthemissingchild.gov.in) विकसित की गई है। समेकित बाल संरक्षण योजना के अधीन राज्य बाल संरक्षण समिति अंतर्गत वर्तमान में किशोर न्याय

परिषद्, बाल कल्याण समिति, पर्यवेक्षण गृह, विशेष गृह, बाल गृह एवं विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान से संबंधित मासिक एवं त्रैमासिक प्रतिवेदन हेतु MIS System विकसित किया गया है।

- **बाल संरक्षण समिति :-** बाल संरक्षण समिति की परिकल्पना बाल संरक्षण अधिकारों का उल्लंघन करने वाली समस्याओं पर विचार करने एवं उनका स्थानीय समाधान तलाशने हेतु एक महत्वपूर्ण ईकाई के रूप में की गई है। यह समिति बाल संरक्षण को सुनिश्चित करने की दिशा में कानूनी प्रावधानों एवं योजनाओं को बनाने, उस पर विचार करने एवं कार्यान्वित करने वाली निकाय है।
- **किशोर न्याय निधि :-** किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के आलोक में किशोर न्याय निधि की भी स्थापना की गयी है। उक्त निधि में विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त राशि का उपयोग बच्चों के संरक्षण के विभिन्न उपायों को और सुदृढ़ करने हेतु किया जाएगा। किशोर न्याय निधि में प्राप्त राशि के समुचित उपयोग हेतु सरकार द्वारा मार्गदर्शिका बनायी गयी है।
- **चाईल्ड फ्रैंडली कोर्ट :-** राज्य के सभी 37 न्यायिक जिलों में चाईल्ड फ्रैंडली कोर्ट की स्थापना की गई है तथा वैसे 11 जिले जहाँ पॉक्सो से संबंधित लंबित मामलों की संख्या अधिक है वहाँ एक-एक अतिरिक्त चाईल्ड फ्रैंडली कोर्ट निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें दो जिले नालंदा एवं पूर्णियाँ में निर्माण पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष जिलों में निर्माण प्रक्रियाधीन है।
- **परवरिश योजना :-** यह राज्य सरकार की एक महत्वाकाँक्षी योजना है। जिसका उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा बच्चों के देखरेख एवं संरक्षण के गैर-सांस्थानिक कार्यक्रम के अन्तर्गत अनाथ एवं बेसहारा बच्चों, दु:साध्य रोग से पीड़ित (एच.आई.वी.) एड्स एवं कुष्ठ बच्चों एवं इन रोगों के कारण दिव्यागंता के शिकार माता-पिता के संतान के बेहतर पालन-पोषण एवं उनके गैर-संस्थानिक देखरेख को प्रोत्साहित करने हेतु अनुदान के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत चयनित बच्चों को पालन-पोषण हेतु अनुदान राशि 1000/- रूपये प्रतिमाह लाभुकों एवं अभिभावक के नाम से खोले गये संयुक्त बचत खाता में सीधे डी0बी0टी0 के माध्यम से राशि हस्तांतरित की जाती है। वर्तमान में कुल 12044 लाभुकों को इस योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है। इस योजना में 100 प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2155.00 लाख उदव्यय/बजट उपबंध के विरूद्ध अबतक 1400.75 लाख रूपये राज्य बाल संरक्षण समिति को उपलब्ध करा दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना अन्तर्गत रू. 1,600.00 लाख का उद्व्यय प्राप्त है।

- **स्पॉन्सरशिप :-** राज्य सरकार द्वारा मई-2018 से स्पॉन्सरशिप कार्यक्रम के क्रियान्वयन

हेतु दिशा-निदेश अधिसूचित की गयी है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत तलाकशुदा, परित्यक्ता एवं विधवा महिलाओं के बच्चों, ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता (कमाउ सदस्य) मानसिक रोग अथवा जानलेवा बीमारी से ग्रस्त हों या जिन्हें कैद की सजा हुई हो, ऐसे परिवारों के अधिकतम 02 बच्चों को प्रतिमाह **2000/-** रूपये की राशि 18 वर्ष पूर्ण होने तक अथवा 03 वर्षों के लिए देय है। वर्तमान में कुल 1813 लाभुकों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है।

विगत दो वर्षों में राज्य सरकार ने बाल संरक्षण के क्षेत्र में कई सराहनीय प्रयास प्रारंभ किये है। संस्थागत देखभाल के साथ-साथ संस्थान से बाहर निकलने वाले बच्चों के लिए किये जाने वाले प्रयास विशेष रूप से उल्लेखनीय है। समाज कल्याण विभाग ने बच्चों को व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु राज्य के विभिन्न बालिका गृहों में आवासित 14 बालिकाओं को बैंगलोर स्थित **Eco Juvenile Justice** के अंतर्गत **Eurindian Academy** में होटल मैनेजेंट में एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स करने हेतु भेजा गया है। इस कोर्स की समाप्ति के उपरान्त सभी 14 बालिकाओं को बेंगलुरू के विभिन्न स्टार होटलों में शत-प्रतिशत प्लेसमेंट प्राप्त हो गया है। पुन: निर्धारित अहर्ता को पूरा करने वाले 31 बालक एवं बालिकाओं को उक्त संस्थान में कोर्स हेतु भेजने की प्रक्रिया रा0बा0सं0स0, बिहार, पटना द्वारा की जा रही है।

- **बाल सहायता योजना :-** कोरोना माहामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के बेहतर पालन-पोषण, आवासन एवं शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु अनुदान के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु बाल सहायता योजना प्रारंभ किया गया है। कोरोना महामारी के कारण अनाथ एवं बेसहारा 0-18 वर्ष आयु समूह के बच्चे, जिनके माता-पिता दोनों की मृत्यु, जिसमें कम-से-कम किसी एक की मृत्यु कोरोना से हो गई हो, वे इस योजना के पात्र माने जायेंगे। इस योजना के अंतर्गत योग्य बच्चे जो गैर संस्थानिक व्यवस्था में अपने अभिभावक के साथ रह रहे हो, को 18 वर्ष की आयु तक पालन-पोषण हेतु अनुदान राशि 1500/- (पन्द्रह सौ) रूपये प्रतिमाह होंगे। इस योजना में 100 प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। योजना अंतर्गत अब तक चिन्हित 56 बच्चों को माह दिसम्बर, 2021 तक की अनुदान राशि का भुगतान किया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष- 2021-22 में 50 लाख उदव्यय/बजट उपबंध के विरूद्ध अबतक 50.00 लाख रूपये व्यय किया गया है।

आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल रूपये 50.00 लाख का योजना उद्व्यय प्राप्त है।

अन्य प्रक्षेत्र

(क) मुख्यमंत्री वृहत आश्रय विकास योजना :- मुख्यमंत्री बाल आश्रय विकास योजना के तहत समाज कल्याण विभाग अंतर्गत विभिन्न वर्ग समूहों के लाभुकों यथा शिशु, बालक, बालिका के सुरक्षित आवासन एवं पुनर्वास हेतु विभिन्न गृहों का निर्माण एवं अन्य सुसंगत संरचनाओं का विकास तथा उसका संचालन, रख-रखाव एवं अनुश्रवण किया जाना है। विभाग अंतर्गत बाल गृह का निर्माण तथा संचालन मुख्यमंत्री बाल आश्रय विकास योजना के अंतर्गत किया जायेगा। इसके अंतर्गत बालक, बालिका, शिशु आदि वर्ग समूह इसके तहत लाभान्वित होंगे।

- **निर्माण हेतु प्रस्तावित जिला तथा लागत :-** 200 आवासन क्षमतावाले प्रत्येक वृहत आश्रय गृह का निर्माण लगभग 29.71 करोड़ रूपये की लागत से इस योजना के अंतर्गत कम से कम प्रत्येक प्रमण्डल में एक-एक परियोजना तथा कतिपय सीमावर्ती / विशेष प्रभावित जिलों को लेकर सम्प्रति 12 जिलों यथा भागलपुर, प0 चम्पारण, कैमूर, औरंगाबाद, कटिहार, नवादा, मुजफ्फरपुर, पटना, सुपौल, जमुई, सिवान एवं दरभंगा में प्रस्तावित है।
- **निर्माण की स्थिति :-** वर्तमान में वृहद आश्रय गृह के निर्माण की स्थिति निम्न प्रकार है :-

क्र0	प्रमण्डल का नाम	जिला का नाम	वर्तमान स्थिति
1	मगध	औरंगाबाद	बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 के द्वारा निविदा आमंत्रित। निविदा खोलने की तिथि 22.06.2021 निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में।
2		नवादा	कार्य आवंटित। सीमांकन सम्पन्न। फरवरी 2023 तक कार्य की पूर्णता संभावित।
3	दरभंगा	दरभंगा	बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 के द्वारा निविदा आमंत्रित। निविदा खोलने की तिथि 29.07.2021
4	मुंगेर	जमुई	बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 के द्वारा निविदा आमंत्रित। निविदा खोलने की तिथि 13.11.2021
5	पटना	पटना	बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 के द्वारा पुनर्निविदा आमंत्रण की प्रक्रिया। निविदा खोलने की तिथि 21.10.2021
6		कैमूर	बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 के द्वारा पुनर्निविदा आमंत्रित। निविदा खोलने की तिथि 17.09.2021 ।
7	पूर्णियॉ	कटिहार	1. बालक छात्रावास - प्रथम तल का छत ढलाई कार्य प्रगति पर। 2. बालिका छात्रावास - प्रथम तल का छत ढलाई कार्य प्रगति पर। 3. Type 1 qtr - भूतल का छत ढलाई पूर्ण। 4. Type 2 qtr - भूतल के छत का कॉलम ढलाई का कार्य प्रगति पर। 5. Type 3 qtr - कार्य प्रारंभ नही हुआ है। 6. common Facility - प्रथम तल का छत को लोहा बंधाई कार्य प्रगति पर। 7. Boundary Wall - प्लास्टर कार्य पूर्ण। अक्टूबर 2022 तक कार्य की पूर्णता संभावित।
8	तिरहुत	मुजफ्फरपुर	बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 के द्वारा निविदा आमंत्रित। निविदा खोलने की तिथि 29.07.2021
9		पश्चिमी चम्पारण	कार्य आवंटित। एकारनामा की प्रक्रिया में। फरवरी 2023 तक कार्य की पूर्णता संभावित।

10	भागलपुर	भागलपुर	बालिका छात्रावास - नींव कार्य प्रगति पर। Boundary wall कार्य प्रगति पर। मार्च 2023 तक कार्य की पूर्णता संभावित।
11	सारण	सीवान	बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 के द्वारा निविदा आमंत्रित। निविदा खोलने की तिथि 29.07.2020 ।
12	कोशी	सुपौल	बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 के द्वारा निविदा आमंत्रित। निविदा खोलने की तिथि 29.07.2021

- **आवासन क्षमता :-** प्रत्येक परियोजना में इन वृहद आश्रय गृहों की कुल आवासन क्षमता 200 की होगी। इसमें विभिन्न आयु वर्ग के बालक, बालिकाओं की आवासन व्यवस्था अलग-अलग होगी।
- **सुविधाएँ :-** प्रत्येक ब्लॉक में लाभुक वर्ग समूह के आधार पर व्यवस्था अलग-अलग होंगें परन्तु कुछ सुविधाएँ यथा साफ-सफाई, सुरक्षा, सी0सी0टी0वी0, इन्टरनेट, जनरेटर आदि की सुविधा समेकित हो सकती है। प्रत्येक परियोजना परिसर में 200 आवासन क्षमता वाले वृहद आश्रय गृहों के अतिरिक्त परन्तु उससे पृथक, पदाधिकारियों एवं कर्मी के लिए स्टॉफ क्वार्टर, परियोजना कार्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य/उपचार केन्द्र आदि का निर्माण किया जायेगा तथा सुरक्षा प्रहरी के लिए भी आवासीय परिसर के बाहर तथा अंदर सुरक्षा बैरक/पोस्ट का निर्माण किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में आयोग के संधारणार्थ 10100.00 लाख रूपये के योजना उदव्यय/बजट उपबंध है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना अन्तर्गत 5527.54 लाख रूपये का योजना उदव्यय प्राप्त है।

किन्नर कल्याण बोर्ड :- इस योजना के तहत राज्य के किन्नरों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का आंकलन करके उन्हें मुख्यधारा में शामिल करने हेतु कार्य किये जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड गठन नियमावली, *2015* अधिसूचित की गयी है। उक्त बोर्ड में कुल 21 सरकारी सदस्य (पदेन) एवं अधिकतम 09 गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन करने का प्रावधान है, जो किन्नर समुदाय से होंगे। सभी जिलों में किन्नर समुदाय के सदस्यों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु जिला स्तरीय सुविधा केन्द्र अधिसूचित किये गये है। बोर्ड द्वारा राज्य के सभी किन्नरों को पहचान पत्र दिलाये जाने के संबंध में तथा उनका राज्य स्तरीय डाटाबेस तैयार करने हेतु विभाग स्तर पर एक पोर्टल तैयार किया गया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा वाद संख्या 400/2012, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बनाम भारत सरकार एवं अन्य में दिनांक 15/04/2014 को पारित न्यायादेश में किन्नरों को तृतीय लिंग के रूप में मान्यता प्रदान करने, उनके पहचान को विधिक मान्यता प्रदान करने, शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन एवं सरकारी नियुक्तियों में आरक्षण का लाभ देने,

HIV Sero-surveillance Centres की स्थापना करने, अस्पतालों में विशेष चिकित्सकीय व्यवस्था तथा सार्वजनिक स्थानों में अलग शौचालय का निर्माण करने, सामाजिक कल्याणकारी योजनायें बनाने इत्यादि का निदेश दिया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त न्याय निर्णय के आलोक में सरकार द्वारा बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड गठन नियमावली, 2015 अधिसूचित की गयी है।

उक्त नियमावली के प्रावधान के अनुसार बोर्ड में कुल 21 सरकारी सदस्य एवं अधिकतम 9 किन्नर समुदाय के गैर सरकारी सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान है।

बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड के गठन नियमावली के अनुसार बोर्ड के द्वारा निम्नांकित कार्य किये जाने हैं:-

- राज्य मुख्यालय एवं क्षेत्रों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान करना।
- 2 विभिन्न विभागों द्वारा किन्नरों के कल्याणार्थ बनायी गयी योजनाओं तथा उनके कार्यान्वयन से संबंधित कार्य का अनुश्रवण करना।
- प्रभावी एवं समन्वय नीति एवं इसके क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना ताकि विभिन्न योजनाओं में कोई पुनरावृत्ति न हो।
- किन्नरों के सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति का आंकलन एवं उनके पिछड़ेपन को दूर करने हेतु समेकित योजनाओं का निर्माण एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करना तथा इन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार से पर्याप्त निधि उपलब्ध कराना।
- किन्नरों के आर्थिक विकास एवं वित्तीय समावेशन हेतु योजनाओं का निर्माण एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
- राज्य के सभी किन्नरों को पहचान पत्र की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- किन्नरों को राजनीतिक भागीदारी, विधि एवं नागरिकता के अधिकारों की मान्यता दिलाने हेतु सुझाव देना।
- विभिन्न आयवर्द्धक कार्यक्रमों को वित्तीय स्वीकृति प्रदान करना।
- सामाजिक जागरूकता के माध्यम से किन्नरों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करने का पहल करना।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में आयोग के संधारणार्थ 50.00 लाख रूपये के योजना उदव्यय/बजट उपबंध है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना अन्तर्गत 50.00 लाख रूपये का योजना उदव्यय प्राप्त है।

बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग

बाल अधिकार विशेषतया पारिवारिक संरक्षण से वंचित यथा निराश्रित, उपेक्षित, अनैतिक पणन के शिकार, शोषण के शिकार बालकों के अधिकारों के संरक्षण एवं उनके हनन के मामलों में त्वरित कार्रवाई हेतु बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 को अधिसूचित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम की धारा 17 (2) के विभागीय संकल्प संख्या- 2028 दिनांक- 23.12.2008 द्वारा बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया है। राज्य सरकार के उक्त संकल्प में निहित निदेशों एवं बाल अधिकार संरक्षण अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या- 1768 दिनांक- 28.08.2010 एवं 1778 दिनांक- 30.08.2010 द्वारा बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की प्रथम नियुक्ति तथा विभागीय अधिसूचना सं0- 362 दिनांक- 21.02.2014 तथा 363 दिनांक- 21.02.2014 द्वारा द्वितीय नियुक्ति की गयी थी। विदित हो कि माह मई, 2016 के मध्य से आयोग विघटित था।

बिहार राज्य में 2010 से एक बाल अधिकार संरक्षण आयोग कार्यरत रहा है। जिसमें बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण तथा उनके अधिकारों के हनन मामले में आयोग ने अपने कर्तव्य एवं दायित्वों को पूर्ण संवेदनशीलता से एवं विधिसम्मत रूप से कार्य किया है। बाल अधिकार के हनन के मामले में पारदर्शी जाँच, अनुशंसा एवं त्वरित न्याय के लिए जो भी शक्तियाँ इसे प्राप्त हैं, उसका उपयोग करते हुए इसने अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के अतिरिक्त सचिव एवं अन्य पदाधिकारियों ने भी आयोग को राज्य में प्रतिस्थापित करने तथा बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा करने में अपनी महती भूमिका का परिचय दिया है।

दिनांक- 13.01.2022 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली द्वारा बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के साथ बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, टीकाकरण आदि से संबंधित विषयों पर ऑनलाइन बैठक की गयी। सभी बाल संरक्षण आयोग एवं प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग एवं अध्यक्ष, बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पटना की अध्यक्षता में बच्चों की हितार्थ विभागीय स्तर पर ऑनलाइन बैठक की गयी।

माननीय अध्यक्ष महोदया द्वारा जहानाबाद, गया, नालन्दा, नवादा, रोहतास एवं पटना आदि जिलों में पर्यवेक्षण गृह, बाल गृह, बालिका गृह इत्यादि का निरीक्षण किया गया। शेष अन्य जिलों के गृहों का भ्रमण/निरीक्षण माननीय अध्यक्ष तथा सदस्य द्वारा किया जाना है।

वित्तीय वर्ष-2021-22 में 294.96 लाख रू0 के योजना उदव्यय / बजट उपबंध के विरूद्ध 141.90 लाख का व्यय किया गया।

वित्तीय वर्ष- 2022-23 में 259.64 लाख रू0 का योजना उदव्यय प्राप्त है।

अन्य प्रक्षेत्र

वर्तमान में आयोग द्वारा कोरोना महामारी के दौरान बाल संरक्षण हेतु किये गये कार्यों का विवरण:-

COVID-19 एक ऐसा स्वास्थ्य संकट है जिसका कुप्रभाव विश्व में बाल अधिकारों के व्यापक जोखिम के रूप में दिखाई देता है। वायरस का सामाजिक - आर्थिक प्रभाव प्रत्येक वर्ग के बच्चों के लिए किसी न किसी रूप से घातक साबित हो रहा है। Lockdown के कारण भारी संख्या में प्रवासी मजदूरों का परिवार बिहार लौट कर आये, जिनके साथ अच्छी संख्या में बच्चे भी थे। बिहार राज्य बाल संरक्षण आयोग प्रवासी परिवार के बच्चों की सुरक्षा के लिये तत्पर रहा तथा प्रत्येक संबंधित इकाईयों से लगातार जानकारी प्राप्त करता रहा।

ऑनलाईन पढ़ाई के साथ बच्चों के डिजिटल सुरक्षा के खतरे उभर कर सामने आये। एक ओर जहाँ लाखों बच्चे स्कूल से पूरी तरह बाहर हो गये, वहीं दूसरी ओर बच्चों के साथ हिंसा या दुर्व्यवहार की घटनाओं की संभावना बढ़ गई। वैश्विक तौर पर यह देखा गया कि अत्यधिक संकटग्रस्त बच्चों के लिए, कोरोना के दौरान बढ़े हुए तनाव का स्तर कई दीर्घकालिक मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों के रूप में सामने आया। CHILDLINE के आंकड़े के अनुसार लॉकडाउन के तुरंत बाद से प्राप्त किये गए कॉल में 50% की वृद्धि देखी गई। कोरोना के दौरान बच्चों की सुरक्षा से जुड़े विषयों पर आधारित कई वेबिनार में आयोग की सहभागिता रही। इनमें से कुछ कार्यशाला बच्चों के साथ भी आयोजित हुई। साथ ही, आयोग की अध्यक्ष महोदया ने राज्य के बाल देखरेख संस्थानों के कर्मियों के लिये यूनिसेफ के सहयोग से आयोजित वेबिनार में भी स्वयं शामिल होकर कर्मियों का मनोबल बढ़ाया।

आगामी कार्य योजना :-

आयोग के कार्य, भूमिका एवं दायित्वों को बच्चों से जुड़े विभिन्न अधिनियमों में लिपिबद्ध कर विधि प्रदत्त जिम्मेदारियों के निर्वहन के साथ- साथ विभिन्न अधिनियमों के प्रावधानों को लागू कराना, उनका विधि संगत अनुश्रवण करना तथा बाल अधिकारों को गाँव-गाँव तक पहुँचाना आयोग के मुख्य लक्ष्यों में होगा। बाल अधिकार के हनन के मामले का समुचित संज्ञान, निर्णय एवं अनुशंसा आयोग के प्रमुख दायित्वों में है और आयोग इस कार्य को पूर्ण सक्षमता, दृढ़ता एवं सूक्ष्मता से कर पाएगा।

राज्य के मुख्यमंत्री जिस प्रकार से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बाल अधिकारों को प्रतिस्थापित करने एवं उसके हनन को रोकने में लगे हैं, यह प्रशंसनीय है और आयोग उन कार्यों को यथा शराबबंदी, दहेज प्रथा के रोकथाम, शिक्षा से जुड़े विभिन्न योजनाओं को लागू कराने आदि में पूर्ण सहयोग देगा।

बच्चों के शिकायतों के लिए ई-बॉक्स बनाने, सभी तरह के शिकायतों से संबंधित आँकड़ों का संकलन, अनुश्रवण तथा प्रचार- प्रसार के कार्य को अधिक वैज्ञानिक एवं प्रायोगिक रूप से प्रयोग करने की अपने आप से अपेक्षा करता है। साथ ही आयोग अपने दलों में बच्चों की भागीदारी बड़े स्तर पर करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को और भी समर्पित भाव से करेगी। बाल मित्र न्यायालय की स्थापना के लिए भी बेहतर प्रसार करेगी।

समाज के असहाय वर्गों/असंगठित क्षेत्र के लिए संचालित योजनाएँ एवं कार्यक्रम

सामाजिक सुरक्षा प्रक्षेत्र :

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्रीय पेंशन योजनाएँ

- इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन
- इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन
- इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन

राज्य सरकार द्वारा संचालित राज्य पेंशन योजनाएँ

- मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना
- लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशनयोजना
- बिहार नि:शक्तता पेंशन

- **इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना :-** इस योजना के अन्तर्गत बी0 पी0 एल0 परिवार के 60-79 वर्ष आयु वर्ग के वृद्ध व्यक्ति को रू0 400/- प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है, जिसमें रू0 200/- केन्द्र सरकार द्वारा एवं रू0 200/- राज्य सरकार द्वारा अंशदान किया जाता है।
  - 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के वृद्ध व्यक्ति को रू0 500/- प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है, जिसमें शत-प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा दी जाती है।
  - इस योजना में आवेदन विहित प्रपत्र में दो प्रतियों में प्रखण्ड के RTPS काउन्टर पर जमा किया जाता है।
  - इस योजना की स्वीकृति पदाधिकारी, सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग हैं।

- **इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना :-** इस योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 परिवार के 40-79 वर्ष आयु वर्ग की विधवा महिला को रू0 400/- प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है, जिसमें रू0 300/- केन्द्र सरकार द्वारा एवं रू0 100/- राज्य सरकार द्वारा अंशदान किया जाता है।
  - 80 वर्ष आयु के उपरान्त इस योजना के पेंशनधारियों को इन्दिरा गाँधी वृद्धावस्था पेंशन योजना में स्थानांतरित किया जाता है।

- इस योजना में आवेदन विहित प्रपत्र में दो प्रतियों में प्रखण्ड के RTPS काउन्टर पर जमा किया जाता है।
- इस योजना की स्वीकृति पदाधिकारी, सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग हैं।

- **इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना :-** इस योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 परिवार के 18-79 वर्ष आयु वर्ग के 80 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांग व्यक्ति को रू0 400/- प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है, जिसमें रू0 300/- केन्द्र सरकार द्वारा एवं रू0 100/- राज्य सरकार द्वारा अंशदान किया जाता है।
  - 80 वर्ष आयु के उपरान्त इस योजना के पेंशनधारी को इन्दिरा गाँधी वृद्धावस्था पेंशन योजना में स्थानांतरित किया जाता है।
  - इस योजना में आवेदन विहित प्रपत्र में दो प्रतियों में प्रखण्ड के RTPS काउन्टर पर जमा किया जाता है।
  - इस योजना की स्वीकृति पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी हैं।
- **लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना :-** इस योजना के अन्तर्गत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की वैसी विधवा जिनकी वार्षिक आय रू0 60,000/- से कम हो या जो बी0पी0एल0 परिवार की हों परन्तु इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अन्तर्गत आच्छादित नहीं हों, को रू0 400/- प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है।
  - इसमें शत-प्रतिशत राशि राज्य सरकार के द्वारा अंशदान किया जाता है।
  - इस योजना में आवेदन विहित प्रपत्र में दो प्रतियों में प्रखण्ड के RTPS काउन्टर पर जमा किया जाता है।
  - इस योजना की स्वीकृति पदाधिकारी, सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग हैं।

- **बिहार निःशक्तता पेंशन योजना :-** इस योजना के अन्तर्गत किसी भी आय एवं आयुवर्ग के 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति को रू0 400/- प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है।
  - इसमें शत-प्रतिशत राशि राज्य सरकार के द्वारा अंशदान किया जाता है।
  - इस योजना में आवेदन विहित प्रपत्र में दो प्रतियों में प्रखण्ड के RTPS काउन्टर पर जमा किया जाता है।
  - इस योजना की स्वीकृति पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी हैं।
- **मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना :-** राज्य के सभी वृद्धजनों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना

वित्तीय वर्ष 2019-20 से लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी आय वर्ग के वृद्धजनों को रू0 400/- प्रतिमाह तथा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु होने पर रू0 500/- प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।

- केन्द्र/राज्य सरकार से कोई वेतन, पेंशन, पारिवारिक पेंशन या सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहे वृद्धजन इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
- इस योजना में आवेदन विहित प्रपत्र में दो प्रतियों में प्रखण्ड के RTPS काउन्टर पर जमा किया जाता है। इसके अन्तर्गत https://www.sspmis.bihar.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।
- इस योजना में पेंशन आवेदनों की जाँच एवं पेंशन भुगतान की स्वीकृति प्रक्रिया को सरल एवं सुगम्य बनाया गया है एवं आवेदक के आधार कार्ड से उम्र सत्यापन, ईपिक कार्ड से आवासीय पता का सत्यापन एवं पी0एफ0एम0एस0 के द्वारा बैंक खाता के सत्यापन के आधार पर निदेशालय स्तर से ही आवेदन को स्वीकृत कर स्वीकृत्यादेश निर्गत करने का प्रावधान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में छः सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत लगभग 01 करोड़ 17 लाख पेंशनधारियों को माह फरवरी, 2022 तक भुगतान किया जा चुका है एवं माह मार्च, 2022 का भुगतान भी किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए कुल संशोधित प्रावधानित बजट रू0 533043.89 लाख के विरूद्ध रू0 351037.35 लाख का व्यय किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए कुल रू0 375020.00 लाख का योजना उद्व्यय प्राप्त है।

आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम

भारत सरकार द्वारा एन0एस0ए0पी0 योजनान्तर्गत वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांग पेंशनधारियों हेतु विभिन्न जिलों में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया।

विधवा पेंशनधारियों हेतु 21-27 जून 2021 तक आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन सभी जिला में किया गया जिसके अन्तर्गत विधवा पेंशनधारियों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित करते हुए उन्हें सम्मानित भी किया गया।

वृद्ध पेंशनधारियों हेतु 04-10 अक्टूबर 2021 तक आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का

आयोजन सभी जिला में किया गया जिसके अन्तर्गत वृद्ध पेंशनधारियों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित करते हुए उन्हें सम्मानित भी किया गया।

दिव्यांग पेंशनधारियों हेतु 29 नवम्बर से 05 दिसम्बर 2021 तक आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन सभी जिला में किया गया जिसके अन्तर्गत दिव्यांग पेंशनधारियों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित करते हुए उन्हें सम्मानित भी किया गया।

पेंशनधारियों के जीवित होने के प्रमाण के लिए सभी जिला में सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों का जीवन प्रमाणीकरण का कार्य कराया जा रहा है। प्रमाणीकरण का यह कार्य Biometric Authentication के माध्यम से प्रखण्ड कार्यालय में नि:शुल्क कराया जा रहा है। इस कार्य के लिए सभी प्रखण्ड कार्यालय को Biometric Device एवं Iris Device उपलब्ध कराया गया है। लाभुक स्वेच्छा से अपने निकट के कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी जीवन प्रमाणीकरण रू0 5/- का शुल्क देकर करवा सकते हैं। अबतक लगभग 70 लाख पेंशनधारियों का प्रमाणीकरण किया जा चुका है। प्रमाणीकरण हेतु प्रखण्ड कार्यालय में शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है।

Iris Device के माध्यम से जीवन प्रमाणीकरण

Biometric Device के माध्यम से जीवन प्रमाणीकरण

मृत्योपरांत देय अनुदान योजनाएँ:-

दुर्घटना से मुत्यु की स्थिति में मृतक के पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता हेतु तीन योजनाएँ चलाई जा रही हैं-

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना :- इसके अन्तर्गत 18-60 वर्ष आयु वर्ग के कमाऊ सदस्य (Bread Winner) की अकस्मात मृत्यु पर उसके आश्रित को एकमुश्त रू0 20,000/-की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसमें शत-प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त होती है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में रू0 3100.00 लाख का बजट के विरूद्ध 1890.00 लाख का व्यय किया गया है तथा जिसमें 2840 लाभुकों को ई-सुविधा पोर्टल से भुगतान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 7200.00 लाख का योजना उद्व्यय प्राप्त है।

मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना :- इस योजना के अन्तर्गत किसी भी उम्र के व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु या 18-60 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्ति की अपराधिक घटना में मृत्यु होने की स्थिति में उसके आश्रित परिवार/निकटस्थ संबंधी को एकमुश्त रू0 20,000/-की सहायता दी जाती है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रू0 250.00 लाख का बजट के विरूद्ध 162.50 लाख का व्यय किया गया है तथा जिसमें 709 लाभुकों को ई-सुविधा पोर्टल से भुगतान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए रू0 250.00 लाख का योजना उद्व्यय प्राप्त है।

कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना :- इस योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 परिवार के किसी भी आयु के व्यक्ति की मृत्यु पर उसके अन्त्येष्टि क्रिया हेतु परिवार को रू0 3000/- की एकमुश्त सहायता दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत e-suvidha पोर्टल के माध्यम से लाभुकों को भुगतान किया जा रहा है।

प्रत्येक पंचायत के खाता में 05 लाभुकों के लिए रू0 15,000/-, प्रत्येक नगर पंचायत में 10 लाभुकों के लिए रू0 30,000/-, प्रत्येक नगर परिषद में 20 लाभुकों के लिए रू0 60,000/- तथा प्रत्येक नगर निगम में 30 लाभुकों के लिए रू0 90,000/- One Time Advance के रूप में उपलब्ध करायी जाती है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रू0 1500.00 लाख का बजट के विरूद्ध 815.00 लाख व्यय किया गया है तथा 19757 लाभुकों को ई-सुविधा पोर्टल से भुगतान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में के लिए रू0 1500.00 लाख का योजना उद्व्यय प्राप्त है।

अन्य योजनाएँ :-

बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना :- इसके अन्तर्गत Visible Deformities Grade-II के कुष्ठ रोगी को भोजनादि हेतु रू0 1500/- प्रतिमाह प्रति कुष्ठ रोगी की दर से आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जीविकोपार्जन में असमर्थ कुष्ठ रोगियों को भिक्षावृत्ति से दूर रखना है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में रू0 2500.00 लाख का बजट स्वीकृत है तथा रू0 1625.00 लाख का व्यय कर लिया गया है। अब तक 12559 लाभुकों को ई-सुविधा पोर्टल के माध्यम से भुगतान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में के लिए रू0 2500.00 लाख का योजना उद्व्यय प्राप्त है।

बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना :- बिहार स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसाईटी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना की सहायता से संचालित इस योजना के तहत एड्स रोगियों को मुफ्त भोजन हेतु रू0 1500/- की आर्थिक सहायता दी जाती है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में रू0 10169.55 लाख का बजट स्वीकृत है, जिसमें रू0 2340.00 लाख बिहार स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाईटी को 59877 लाभुकों के बीच वितरण हेतु उपलब्ध करा दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए रू0 1500.00 लाख का योजना उद्व्यय प्राप्त है।

मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना:- इस योजना के तहत निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना तथा अन्तर्जातीय विवाह योजना सन्निहित है। अन्तर्जातीय विवाह अथवा दिव्यांग महिला/पुरूष के साथ विवाह करने पर जिसमें महिला एवं पुरूष की आयु क्रमशः 18 और 21 वर्ष से अन्यून हो तो अन्तर्जातीय विवाह के लिए महिला को एवं

दिव्यांगजन से विवाह के लिए दिव्यांगजन को अनुदान देय होगा, यदि ऐसी विवाह में पति-पत्नी दोनों दिव्यांग हों तो दोनों को अनुदान देय होगा। इसी प्रकार दिव्यांगजन यदि अंतर्जातीय विवाह करतें हैं तो दिव्यांग विवाह के साथ-साथ अंतर्जातीय विवाह के लिए देय अनुदान भी अनुमान्य होगा। उदाहरणतया- यदि पति पत्नी दोनों दिव्यांग हों और उनकी जाति भी भिन्न हो तो पत्नी को अंतर्जातीय विवाह एवं दिव्यांग विवाह दोनों के लिए तथा पति को दिव्यांग विवाह हेतु अर्थात अनुदान की तीन इकाई अनुमान्य होगी। इन दोनों योजना के तहत अधिकतम परिपक्वता राशि देने वाले राष्ट्रीयकृत बैंको में सावधि जमा के माध्यम से रू0 1,00,000/- अनुदान के रूप में देने का प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में निःशक्तजन प्रोत्साहन योजना के तहत रू0 227.00 लाख के बजट में 146 लाभुकों को भुगतान किया गया है।

अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत रू0 500.00 लाख का बजट स्वीकृत है तथा 208 लाभुकों को भुगतान किया गया है।

ओल्ड एज होम (सहारा) :- बिहार माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली, 2012 के अन्तर्गत राज्य के 05 जिलों में वृद्धाश्रम 'सहारा' संचालित हैं- पटना, पूर्णियाँ, रोहतास, भागलपुर एवं पश्चिम चम्पारण जिन्हें गैर

सरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से चलाया जा रहा है। इन 05 वृद्धाश्रम की आवासन क्षमता 300 है, जिसमें 186 वृद्धाजन आवासित हैं। भवन निर्माण विभाग के माध्यम से गुलजारबाग, पटना एवं गया में 100 बेड वाले वृद्धाश्रम का निर्माण किया गया है। पूर्णियाँ में 100 बेड वाला वृद्धाश्रम भवन निर्माणाधीन है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में वृद्धाश्रम 'सहारा' के लिए रू0 300.00 लाख का बजट स्वीकृत है, जिसमें रू0 164.88 लाख का व्यय किया गया है।

अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY) :- अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY) वरिष्ठ नागरिकों कल्याण से संबंधित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भारत सरकार की एक छत्र योजना है।

इस छत्र योजनान्तर्गत मुख्य रूप से वृद्धजनों के कल्याण के लिए वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल एवं पोषण, आश्रय एवं कल्याण, वृद्धजनों के जानमाल की सुरक्षा, सक्रिय और उत्पादक अन्तरपीढ़ी संबंध, कौशल विकास, सुगम्यता, परिवहन एवं इकोफ्रेन्डली वातावरण, जागरूकता निर्माण एवं क्षमता निर्माण, सिल्वर इकॉनोमी में वृद्धि अर्थात समाज में वृद्धजनों के लायक वस्तुओं एवं सेवाओं का विस्तार, अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना आदि कार्यक्रम शामिल हैं।

इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल रू0 600.00 लाख रू0 भारत सरकार से प्राप्त है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में के लिए रू0 1000.00 लाख का योजना उद्व्यय प्राप्त है।

इन्टीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सिनियर सिटिजन्स (IPSrC) :- इस योजनान्तर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भारत सरकार द्वारा ई-अनुदान पोर्टल (https://grants-msje.gov.in) के माध्यम से 20 शैय्या, 25 शैय्या एवं 50 शैय्या वाले वृद्धाश्रमों के संचालन हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस उप योजनान्तर्गत राज्य के 25 जिलों हेतु 50 शैय्या वाले वृद्धाश्रमों के संचालन हेतु ई-अनुदान पोर्टल के माध्यम से कुल 104 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों की जाँच एवं भौतिक निरीक्षण करते हुए संबंधित प्रतिवेदन सन्दर्भित जिले के सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा ई-अनुदान पोर्टल पर अद्यतन किया जा रहा है।

मादक द्रव्यों के रोकथाम एवं नशा विमुक्ति हेतु राष्ट्रीय नीति योजना (NAPDDR) -(2018-25)

यह केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसके तहत भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए रू0 2.25 करोड़ की राशि प्रावधानित है। इस योजना के तहत लोगों को मादक द्रव्यों के रोकथाम एवं नशा विमुक्ति हेतु शिक्षा एवं जागरूकता अभियान, संसाधन सृजन, ईलाज एवं पुनर्वास, गुणवत्ता मानकीकरण, वंचित समूह को कौशल विकास आदि कार्यक्रम किया जाता है।

इस योजनान्तर्गत विभिन्न सोशल प्लेटफार्म के द्वारा राज्य में नशा विमुक्ति हेतु जागरूकता संदेश का प्रसारण यथा- इलेक्ट्रॉनिक (रेडियो, टी0वी0) मीडिया

के माध्यम से प्रसारण, प्रिंट मीडिया के माध्यम से अखबार विज्ञापन के द्वारा प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। साथ ही राज्य के विभिन्न जिलों में वैन प्रोमोशन के माध्यम से नशा विमुक्ति जागरूकता अभियान का संचालन किया गया है।

इस योजनान्तर्गत नशा विमुक्ति हेतु जागरूकता प्रचार-प्रसार एवं प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास और परिवारों के शिक्षा हेतु Integrated Rehabilitation Centre for Addicts (IRCA) द्वारा राज्य के 09 जिलों में Drug De-addiction केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है, जिनका उद्देश्य बहुप्रचारित रणनीति के माध्यम से नशीली दवाओं के दुरूपयोग के दुष्परिणामों को कम करना है।

वस्त्र वितरण कार्यक्रम :- वस्त्र वितरण कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत राज्य के भूमिहीन, अपंग, निर्धन तथा भिक्षुकों के बीच धोती, साड़ी, चादर (सूती) एवं ऊनी कम्बल का मुफ्त वितरण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। यह गैर योजना कार्यक्रम है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में रू0 200.00 लाख का बजट प्रावधान है, जिसमें अभी रू0 130.00 लाख रू0 का व्यय किया गया है।

गरीब और जरूरतमंदों के बीच जिलाधिकारी ने कंबल का किया वितरण

स्टेट सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पूअर एण्ड सोशल वेलफेयर-'सक्षम' के अन्तर्गत संचालित योजनाएँ

स्टेट सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पूअर एण्ड सोशल वेलफेयर- 'सक्षम' समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत है। सोसाइटी का लक्ष्य महिलाओं, बच्चों, वृद्धजनों, दिव्यांगजनों, अतिनिर्धन वर्गों व भिक्षुकों के अधिकारों तथा उनके हितों की रक्षा करने हेतु नीति-निर्माण के माध्यम से उनका सर्वांगीण विकास तथा सशक्तिकरण करना है।

सोसाईटी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विकास आयुक्त, बिहार सरकार की अध्यक्षता में गठित आम सभा / सामान्य निकाय 'सक्षम' की सर्वोच्च नीति निर्माण इकाई है। विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव/सचिव, सरकारी संगठन एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के अध्यक्ष भी आम सभा/सामान्य निकाय के सदस्य नीति निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षता में गठित सक्षम की कार्यकारिणी समिति में विभिन्न विभागों/सरकारी संगठनों के सदस्य हैं, जो कि सक्षम के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अहम भूमिका निभाते हैं। 'सक्षम' द्वारा वृद्धजनों, विधवाओं, दिव्यांगजनों, कुष्ठ रोगियों आदि को सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक देखभाल प्रदान करने में सामाजिक सुरक्षा निदेशालय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय के द्वारा विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में निदेशालय का सहयोग किया जाता है।

'सक्षम', समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित योजनाएँ:

1. बिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना (बीआईएसपीएस) :- विश्व बैंक सम्पोषित बिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों वृद्धजनों एवं विधवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं देखभाल सम्बन्धित सेवाओं की स्थापना तथा विस्तारीकरण एवं सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों व सेवाओं के संवितरण के सुदृढ़ीकरण हेतु विभागीय क्षमतावर्धन किया जाना है। विश्व बैंक की इस परियोजना की अवधि अगस्त 2014 से मार्च 2020 तक थी। छः माह के विस्तार के साथ सितम्बर 2020 में विश्व बैंक का सहयोग समाप्त हो चुका है। अक्तूबर 2020 से इस परियोजना का क्रियान्वयन बिहार सरकार के राज्य योजना मद से किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु 4000.00 लाख रूपये की राशि के विरूद्ध 2600.00 लाख का व्यय किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में के लिए रू0 5500.00 लाख का योजना उद्व्यय प्राप्त है।

परियोजना की प्रमुख गतिविधियाँ :-

(क) बुनियाद केन्द्रों का संचालन :-

राज्य के समस्त 101 अनुमंडलों में
(38 जिला स्तरीय एवं 63 अनुमंडल स्तरीय)

बुनियाद केन्द्रों का संचालन अपने लक्ष्य के अनुरूप किया जा रहा है। जिलों/अनुमंडलों में नवनिर्मित भवनों/जीर्णोद्धारित सरकारी भवनों/किराए के भवनों के साथ 101 बुनियाद केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। 92 नवनिर्मित बुनियाद भवन, 07 किराये के भवनों यथा: चकिया, ढाका, मधुबनी सदर, बिरौल, खड़गपुर, गया एवं पटना सदर (जीर्णोद्धारित सरकारी भवन), 02 यथा: महाराजगंज एवं पटना सिटी में जीर्णोद्धारित सरकारी भवन में बुनियाद केंद्र संचालित है।

राज्य में संचालित बुनियाद केन्द्र		
नवनिर्मित भवनों में संचालित	जीर्णोद्धारित सरकारी भवनों में संचालित	किराए के भवनों में संचालित
92	02	07

(ख) बुनियाद केन्द्र भवनों का निर्माण :- राज्य में कुल 101 बुनियाद केन्द्र के भवनों का निर्माण किया जाना है जिनमें से 38 जिला-स्तरीय तथा 63 अनुमंडल-स्तरीय केन्द्र होंगे। बुनियाद केन्द्र भवनों के निर्माण की वर्तमान स्थिति निम्नवत हैः

भवनों की स्थिति	संख्या
तैयार एवं हस्तांतरित भवन	92
निर्माणाधीन भवन (अंतिम चरण)	02
भवन निर्माण प्रगति	02
निर्माण प्रारंभ होने वाला भवन	01
समस्या ग्रस्त	01
निविदा / डीपीआर प्रगति	01
अनुपलब्ध भूमि	02
कुल	**101**

101 बुनियाद केन्द्रों के निर्माण में **220.68 करोड़** रूपये व्यय होना संभावित है। बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा केन्द्र निर्माण का कार्य किया जा रहा है। अब तक बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने राशि **213.00 करोड़** की निकासी की है तथा कुल राशि **207.00 करोड़** का उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किया है।

(ग) बुनियाद केन्द्र हेतु उपकरण :- जिला स्तरीय संचालित 38 बुनियाद केन्द्रों में फिजियोथेरेपी उपकरण,एक्सरसाईज उपकरण, ऑडियोलॉजिकल एवं आप्थेल्मिक उपकरणों सहित अन्य आवश्यक उपकरण की आपूर्ति का कार्य पूर्व में संपन्न किया जा चुका है। इस वर्ष में अनुमंडल स्तरीय 63 बुनियाद केन्द्रों में भी आवश्यक उपकरणों यथा: फिजियोथेरेपी उपकरण, एक्सरसाईज उपकरण, ऑडियोलॉजिकल एवं आप्थेल्मिक की आपूर्ति की गई है।

(घ) बुनियाद केन्द्र हेतु फर्नीचर आपूर्ति :- जिला स्तरीय 38 बुनियाद केन्द्रों के लिए पूर्व में आवश्यक (आंशिक) आपूर्ति किया गया था। अब सभी 101 'बुनियाद केन्द्रों' के लिए फर्नीचर आपूर्ति का कार्य बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा किया गया है। इस कार्य के लिए कुल 4700.00 लाख रूपये की राशि आवंटित/बजट है।

(ड.) बुनियाद केन्द्र हेतु मानव संसाधन :- जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई में जिला प्रबंधक, लेखापाल एवं प्रोग्राम ऑफिसर (को-आर्डिनेशन एंड सुपरविजन) कार्यरत है। सभी बुनियाद केन्द्रों पर सामाजिक देखभाल सुविधाएँ हेतु तकनीकी कर्मियों यथा केस मैनेजर, वरीय फिजियोथेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑडियोलोजिस्ट - सह - स्पीच एण्ड लैग्वैज थेरेपीस्ट, काउंसेलर / क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट, मोबीलिटी इन्सट्रक्टर, तकनीशियन - स्पीच एंड हियरिंग, तकनीशियन - प्रोस्थेटिक एंड ओर्थोटिक, तकनीशियन- ओप्थाल्मोलोजी, केयर गिभर, हेल्पर - सह - रसोईया, ड्राईवर, पारा मेडिको पदस्थापित किया गया है।

बुनियाद केंद्र के तकनिकी कर्मियों द्वारा लाभार्थियों की सेवा

सभी 101 बुनियाद केन्द्रों के लिए कुल 1549 कर्मियों/पदाधिकारियों का पद पर नियुक्ति किया जाना है, जिसमें वर्तमान में कुल 783 कर्मी/पदाधिकारी कार्यरत हैं तथा सभी केन्द्रों पर 720 तकनीकी कर्मी कार्य कर रहे हैं, अब तक सभी बुनियाद केन्द्रों के माध्यम से लगभग 2.78 लाख लाभार्थियों की सेवा प्रदान की जा चुकी है।

(च) बुनियाद संजीवनी सेवा (मोबाईल थैरेपी वैन) :- राज्य के सभी 38 जिलों में बुनियाद संजीवनी सेवा (मोबाईल थैरेपी वैन) का संचालन मासिक कार्य योजना बनाकर किया जा रहा है। जिसके माध्यम एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से लगभग 67000 दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाणीकरण बनवाने में सहयोग प्रदान किया गया है। 'बुनियाद संजीवनी सेवा' के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तथा बुनियाद केन्द्रों में दी जाने वाली सेवाओं का प्रचार-प्रसार किया जाता है।

बुनियाद संजीवनी सेवा के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्र के लाभुकों की सेवा

'बुनियाद संजीवनी सेवा' की रिपोर्टिंग MIS के माध्यम से किया जा रहा है तथा मोबाइल एप के माध्यम से वाहन की गतिशीलता का भी अनुश्रवण किया जा रहा है। अब तक सभी 'बुनियाद

संजीवनी सेवा' के माध्यम से लगभग 2.78 लाख लाभार्थियों की सेवा प्रदान की जा चुकी है। मोबाइल थेरेपी वैन के अवयव पर 3608.00 लाख की राशि का व्यय किया जा चुका है।

(छ) सामाजिक सुरक्षा पेंशन हेतु एम.आई.एस. :- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं हेतु निर्मित एस. एस. पी. एम.आई.एस. नामक एम.आई.एस पूरे राज्य में क्रियाशील है। इस प्रणाली को सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से डेटा सेंटर एवं हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। पेंशन संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु निःशुल्क हेल्पलाइन 18003456262 की स्थापना भी की गई है। जिला स्तर पर पदस्थापित 'सक्षम' के पदाधिकारियों/कर्मियों की अनुपस्थिति, अवकाश आदि के अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन भी एम.आई.एस. के माध्यम से किया जा रहा है।

डी0बी0टी0 कोषांग :- सामाजिक सुरक्षा पेंशन को सरल व सुगम एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से सभी पेंशनधारियों को डी0बी0टी0 (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाता में राशि का भुगतान किया जा रहा है। लाभार्थियों को डी0बी0टी के माध्यम से भुगतान करने से पेंशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता, लाभार्थियों का सत्यापन, ससमय पेंशन का वितरण/भुगतान, राशि की वास्तविक समय पर ट्रैंकिंग और मॉनिटरिंग तथा स्थान/परियोजना/समय अवधि के आधार पर उपयोगिता प्रमाणपत्र का निर्माण किया जा रहा है। इसका क्रियान्वयन 'सक्षम' के राज्य कार्यक्रम प्रबंधक इकाई कार्यालय से किया जा रहा है।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अतिरिक्त अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना यथा: कबीर अंत्येष्ठी योजना, बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना, अन्तर्जातीय विवाह योजना आदि हेतु ई-सुविधा पोर्टल विकसित किया गया है एवं इसके माध्यम से भुगतान किया जा रहा है।

डी.बी.टी. कोषांग के माध्यम से माह नवम्बर 2021 तक की सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि लगभग 01 करोड़ लाभुकों के बैंक खाते में भेजी जा चुकी है।

कोविड-19 के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 में लॉकडाउन की अवधि में 'बुनियाद केन्द्र' के कर्मियों के द्वारा पेंशनधारियों से मोबाईल से बात कर, उन्हें कोरोना के बारे में जागरूक किया गया तथा उनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन की भुगतान की जानकारी दी गई हैं।

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना 01 मार्च 2019 से लागू कर दिया गया है एवं अबतक लगभग 37.6 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुआ है एवं लगभग 32.4 लाख लाभुकों को DBT के माध्यम से माह नवम्बर 2021 तक उनके खाते में राशि हस्तांतरित की जा चुकी है।

(ज) लाभार्थियों की सेवा :- राज्य के 101 अनुमंडलों में संचालित बुनियाद केन्द्रों के माध्यम से दिव्यांगजनों, वृद्धजनों एवं विधवाओं को विभिन्न सेवा पैकेजों के तहत सेवाएँ दी जा रही हैं। 38 जिला स्तरीय बुनियाद केन्द पूर्व से संचालित थे जबकि 63 अनुमंडलों का संचालन इस वित्तीय वर्ष से किया जा रहा है। अब तक इन केन्द्रों एवं 'बुनियाद संजीवनी सेवा' के माध्यम से लगभग 5.6 लाख लाभार्थियों को सेवाएँ दी जा चुकी है।

बुनियाद केन्द्रों एवं बुनियाद संजीवनी सेवा के माध्यम से लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या:

क्रम सं०	वर्ष	सेवा प्राप्त लाभार्थियों की संख्या
1	2017-18	26298
2	2018-19	88893
3	2019-20	89586
4	2020-21	208680
5	2021-22	152273
कुल		**565730**

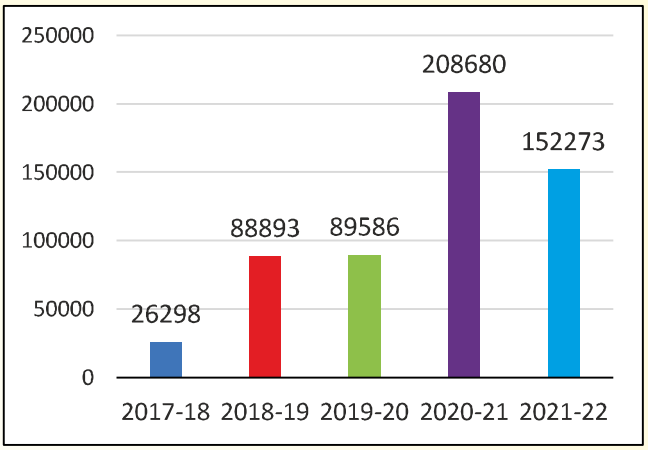

बुनियाद केन्द्रों के माध्यम से लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या:

क्रम सं०	वर्ष	सेवा प्राप्त लाभार्थियों की संख्या
1	2017-18	15097
2	2018-19	30682
3	2019-20	38768
4	2020-21	109734
5	2021-22	92971
कुल		**287252**

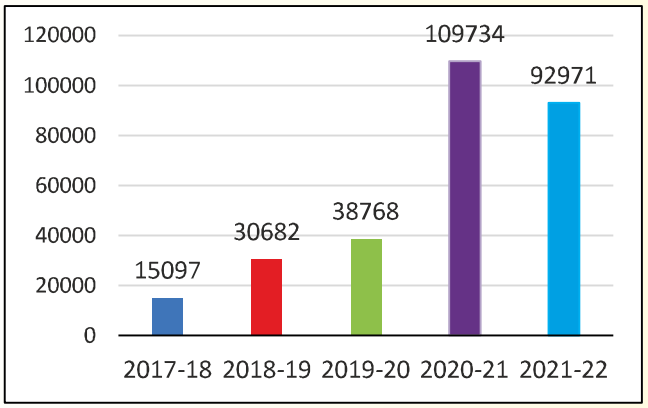

बुनियाद संजीवनी सेवा (मोबाइल थेरेपी वैन) के माध्यम से लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या:

क्रम सं०	वर्ष	सेवा प्राप्त लाभार्थियों की संख्या
1	2017-18	11201
2	2018-19	58211
3	2019-20	50818
4	2020-21	98946
5	2021-22	59336
कुल		**278512**

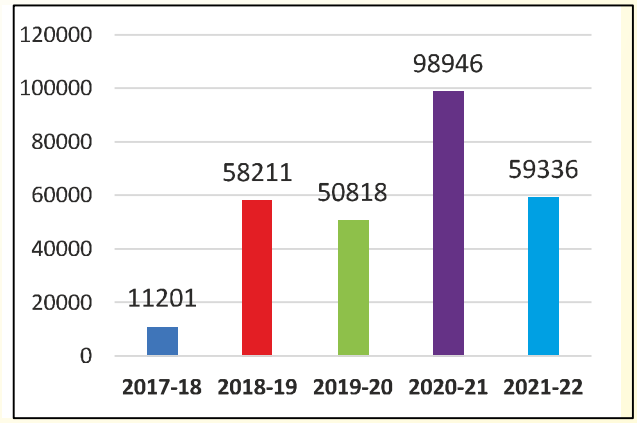

(झ) प्रचार-प्रसार :- बुनियाद केन्द्र पर मिलने वाली सेवाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने हेतु व्यापक स्तर पर चयनित एजेंसी द्वारा निर्मित टीवी स्पॉट एवं रेडियो जिंगल को सूचना एवं जन संपर्क विभाग के द्वारा राज्य स्तर के सभी टीवी चैनलों व रेडियो चैनलों के

माध्यम से प्रचार-प्रसार किया गया है। साथ ही प्रिंट मिडिया यथा दैनिक समाचार पत्रों में बुनियाद केन्द्र एवं बुनियाद संजीवनी सेवा की सेवाओं को विज्ञापन के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार का कार्य किया गया है। राज्य, जिला एवं प्रखंड स्तर पर सूचना एवं जन संपर्क विभाग के साइटों पर बुनियाद केन्द्रों तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की होर्डिंग अधिष्ठापित की जा चुकी हैं। सभी 101 बुनियाद केन्द्रों पर ग्लो साइनबोर्ड, नेम प्लेट एवं केंद्र तक आसानी से पहुँचने के लिए साइनेज का अधिष्ठापन किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में सभी बुनियाद केन्द्रों पर होर्डिंग, स्टैंडी, फोल्डर, ब्रोसर, लोगो आदि अधिष्ठापित करने तथा समाचार पत्र में विज्ञापन, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रचार प्रसार करने की योजना है । साथ ही राज्य, जिला एवं प्रखंड स्तर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के साइटों पर बुनियाद केन्द्रों तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की होर्डिंग अधिष्ठापित किया जायेगा।

(ट) क्षमतावर्द्धन :- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं अन्तर्गत हितभागियों की क्षमतावर्द्धन हेतु आकलन तथा प्रशिक्षण रणनीति का निर्माण वाह्य एजेंसी द्वारा किया जा चुका है। कोविड 19 महामारी के कारण चयनित बुनियाद केद्र के कर्मियों का वर्चुअल प्रशिक्षण लगातार किया गया है।

(ठ) अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- परियोजना की अनुश्रवण एवं मूल्यांकन रणनीति एवं वेब आधारित एप्लिकेशन तैयार किए गए हैं जिनके आधार पर क्षेत्रगत अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सुनिश्चित किया जा रहा है। 'बुनियाद संजीवनी सेवा' के अनुश्रवण के लिए मोबाइल एप तैयार किया गया है जिसके माध्यम से वाहन की गतिशीलता का भी अनुश्रवण किया जा रहा है।

(ड) नीति दस्तावेज :- बिहार राज्य वृद्धजन कार्ययोजना 2019-24 एवं बिहार राज्य दिव्यांगजन कार्ययोजना 2019-24 का निर्माण किया गया है। दोनों कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में सक्षम एवं बुनियाद केन्द्रों की महत्वपूर्ण भूमिकाएं चिन्हित की गईं है।

'सक्षम' समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित बीआईएसपीएस परियोजना हेतु कुल राशि रु0 588.33 करोड़ का बजट है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस परियोजना हेतु निम्नलिखित कार्य योजना है :-

राज्य में सभी 101 बुनियाद केन्द्रों को सुचारू एवं गुणवत्तापूर्ण संचालन करने की योजना है। इसके लिए बुनियाद केंद्र का निर्माण/मेंटेनेंस, मानव संसाधन व संचालन, आवश्यक मशीन का क्रय एवं रख रखाव, विभिन्न माध्यमों से समस्त राज्य में सेवाओं का प्रचार-प्रसार एवं संवेदीकरण विभिन्न स्तरों पर पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की क्षमतावृद्धि के लिए प्रशिक्षण प्रणाली को सुदृढीकरण करना, बुनियाद संजीवनी सेवा के माध्यम से दूर-दराज क्षेत्रों में लाभार्थियों को सेवाएं तथा दिव्यांगता प्रमाणीकरण में सहयोग, दिव्यांग एवं बुजुर्ग लाभुकों के बीच सहाय्य उपकरणों का वितरण तथा समुदाय आधारित पुनर्वास के तहत नवाचारी प्रयोग करने की योजना है।

मुख्यमंत्री भिक्षावृति निवारण योजना :- मुख्यमंत्री भिक्षावृति निवारण योजना बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य को भिक्षावृति के अभिशाप से मुक्त करना है। भिक्षुकों के कल्याण के उद्देश्य से राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना बनाई गयी है जिसके तहत भिक्षुकों की पहचान कर उनको पहचान-पत्र वितरित करते हुए सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ाव स्थापित करना, कौशल प्रशिक्षण के द्वारा रोजगार से जुड़ाव स्थापित करना, वृद्धि पूर्णतः दिव्यांग एवं लावारिस अवस्था में पाए जाने वाले भिक्षुकों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना एवं नशा विमुक्तिकरण के द्वारा उनका पुनर्वास सुनिश्चित कराना है।

वितीय वर्ष 2021-22 में इस योजना के अन्तर्गत कुल 400.00 लाख रू0 का उदव्यय के विरूद्ध अबतक राशि 132.00 लाख रूपये का व्यय किया गया है।

वितीय वर्ष 2022-23 में इस योजना के अन्तर्गत कुल 400.00 लाख रू0 का उदव्यय/बजट उपबंध प्राप्त है।

योजना की प्रमुख उपलब्धियाँ :-

(क) भिक्षुकों का सर्वेक्षण एवं पहचान पत्र वितरण :- राज्य के 38 जिलों यथा पटना, गया, नालन्दा, रोहतास, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, कटिहार, सारण, अररिया, वैशाली एवं पूर्णियाँ में भिक्षाटन कर जीवनयापन कर रहे 13823 अति निर्धनों को चिन्हित कर सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं यथाः वस्त्र वितरण, पहचान पत्र, आवासीय प्रमाणीकरण, यूआईडी आधार, बैंक खाता, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दिव्यांगता प्रमाणीकरण जैसे सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों से जोड़ा गया है।

(ख) स्वास्थ्य जाँच एवं विकलांगता प्रमाणीकरण शिविर का आयोजन :-

राज्य के 10 जिलों में स्वास्थ्य जाँच एवं दिव्यांगता प्रमाणीकरण शिविर का आयोजन कर लाभार्थी को जांचोपरांत आवश्यक दवाईयाँ उपलब्ध कराने की प्रक्रिया की जा रही है।

(ग) सेवा कुटीर (पुरुष पुर्नवास गृह) एवं शांति कुटीर (महिला पुर्नवास गृह) की स्थापना :

वर्तमान में राज्य के चार जिलों में कुल 09 भिक्षुक पुनर्वास गृह संचालित हैं जिनमें पटना, मुजफ्फरपुर, नालंदा एवं पूर्णियाँ में संचालित 05 शान्ति कुटीर तथा पटना में संचालित 01 सेवा कुटीर एवं 01 **MI Cured** (मानसिक रूग्ण), पूर्णियाँ में 01 व सहरसा में 01 सेवा कुटीर शामिल हैं। पुर्नवास गृहों में महिला एवं पुरूष भिक्षुकों को चिन्हित कर उन्हें निःशुल्क मूलभूत सुविधाएँ जैसेः- भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, परामर्श एवं आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही परिवार से बिछड़े लाभार्थियों को उनके परिवारों से जोड़ने का कार्य भी किया जाता है। राज्य के 05 जिलों यथा गया, सारण, दरभंगा, भागलपुर एवं मुंगेर में 07 भिक्षुक पुनर्वास गृहों की स्थापना एवं संचालन की प्रक्रिया जिला स्तर से की जा रही है।

(घ) कम्बल वितरण : वित्तीय वर्ष 2020-21 में शरद ऋतु में भिक्षुकों को ठंड एवं शीत लहर के प्रकोप से बचाव हेतु राज्य के सभी 38 जिलों में 8676 कम्बल वितरण का कार्य किया गया है।

(ड.) समुदाय आधारित बचत समूह (सी.बी.एस.जी.) का गठन :- भिक्षुकों में बचत की आदत का विकास करने एवं उनका सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण करने के उद्देश्य से समुदाय आधारित बचत समूहों का गठन एवं संचालन किया जा रहा है। इन समूहों की वर्तमान स्थिति निम्नवत् है

क्र०सं०	जिला	संचालित समूहों की संख्या	क्र०सं०	जिला	संचालित समूहों की संख्या
1	पटना	30	06	भागलपुर	06
2	गया	10	07	सहरसा	04
3	दरभंगा	05	08	मुंगेर	01
4	पूर्णिया	04	09	सारण	03
5	मुज़फ्फरपुर	05	10	**नालंदा**	**05**
				कुल समूह	**73**

इन 73 समूहों के अंतर्गत कुल 969 भिक्षुकों को संगठित किया गया है जिनके द्वारा कुल रु0 3,62,540/-(तीन लाख बासठ हजार पांच सौ चालीस रूपये) मात्र की बचत राशि जमा की गई है।

(च) उत्पादक समूह :- योजना के तहत चिन्हित 44 भिक्षुकों को प्रशिक्षित कर 'मुक्ता सक्षम उत्पादक समूह' नामक एक उद्यमी समूह का गठन किया गया है। उक्त समूह द्वारा जूट के बैग, फाईल, फोल्डर एवं बाजार के माँग के अनुसार अन्य विभिन्न प्रकार की सामग्रियाँ तैयार कर विभिन्न सरकारी कार्यालयों एवं बाजार में बिक्री की जा रही है।

मुक्ता सक्षम उत्पादक समूह सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निबंधित है।

(छ) योजना का प्रचार-प्रसार :- सार्वजनिक स्थानों पर प्रत्यक्ष भिक्षावृत्ति पर अंकुश लगाने तथा आमजनों को भिक्षुकों की अप्रत्यक्ष सहायता करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 'भिक्षुक सहायता कोष' का गठन किया गया है। 'भिक्षुक सहायता कोष' के नाम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सचिवालय शाखा, पटना में बचत खाता खोला गया है। भिक्षुकों को सीधे दान न देकर इस कोष में दान देने हेतु आमजनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। भिक्षावृत्ति वाले प्रमुख स्थलों पर समय-समय पर नुक्कड़ नाटक, परामर्श, पर्चा-बैनर आदि के माध्यम से जागरूकता निर्माण किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु इस योजना के तहत निम्नलिखित कार्य योजना प्रस्तावित है :-

सभी 38 जिलों में स्वास्थ्य जाँच-सह-दिव्यांगता प्रमाणीकरण शिविर का आयोजन, सामाजिक स्थलों जहाँ भिक्षुक दान प्राप्त करने के उद्देश्य से एकजुट होते हैं, पर सहायता केन्द्र, रेफरल केन्द्र (कॅनोपी) की स्थापना एवं कार्यान्वयन, सभी जिलों में भिक्षुकों के स्वयं सहायता समूहों का गठन एवं संचालन, राज्य के अन्य जिलों में मुक्ता उत्पादक समूह जैसे समतुल्य उत्पादक समूहों का गठन, सुरक्षा योजनाओं से भिक्षुकों का जुड़ाव, बचत खाता, आवासीय/मतदाता पहचान पत्र एवं आधार आदि दस्तावेज मुहैया करवाना, आमजनों में भिक्षुकों को सीधे दान न देकर भिक्षुक सहायता कोष में दान देने हेतु प्रोत्साहित करना, जिला/प्रमंडलीय स्तर पर भिक्षुक पुनर्वास गृहों की स्थापना एवं संचालन करने की योजना है। आम लोगों को भिक्षावृत्ति मुक्त करने के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील बनाने के लिए होर्डिंग, शॉर्ट फिल्म, टीवी विज्ञापन, समाचार पत्र में विज्ञापन, नुक्कड नाटक के माध्यम से प्रचार प्रसार करने की योजना है।

भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान-भिक्षावृत्ति मुक्त पटना :-

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने भिक्षुकों के कल्याणार्थ एवं व्यापक पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अभियान की शुरुआत की है। बिहार राज्य की महत्वाकांक्षी योजना 'मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना' के मॉडल को देश भर में सराहा गया है। 'मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना' से प्रभावित होकर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 'भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान का Pilot प्रोजेक्ट के रूप में क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिसके तहत प्रथम चरण में देश भर के 10 शहरों का चुनाव किया गया है। जिसमें पटना शहर भी शामिल है। 'सक्षम', समाज कल्याण

विभाग, बिहार सरकार को पटना में भिक्षावृत्ति में संलग्न लोगों हेतु व्यापक स्तर पर 'भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान' के क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी नामित किया गया है। इस राष्ट्रीय अभियान का उद्देश्य समाज में व्यापक स्तर पर भिक्षुकों का पुनर्वास करना एवं 'भिक्षावृत्ति मुक्त पटना' बनाना है।

अभियान की प्रमुख गतिविधियाँ एवं उपलब्धियाँ :-

(क) भिक्षुकों का सर्वेक्षण :- पटना शहर को भिक्षावृति मुक्त बनाने के लिए भिक्षुकों के सर्वेक्षण का कार्य पहचान नामक मोबाइल एप के माध्यम से किया जा रहा है। सर्वेक्षण का उद्देश्य भिक्षुकों को पहचान कर उसे पुनर्वासित करना एवं सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से जोड़ना एवं लाभ पहुँचाना है। अब तक लगभग 2896 भिक्षुकों की पहचान कर पंजीकरण किया जा चुका है।

सर्वेक्षण करते ओ. आर. डब्लू

(ख) पुनर्वास गृह का संचालन :- पटना शहर के महिला भिक्षुकों के पुनर्वास के लिए 'शांति कुटीर' एवं पुरुष भिक्षुकों के पुनर्वास के लिए 'सेवा कुटीर' का संचालन किया जा रहा है। इस कुटीर में भिक्षुकों के लिए भोजन, कपड़ा, दवा आदि मूलभूत सेवाओं के साथ साथ उचित सलाह भी दिया जा रहा है। अभी पुनर्वास गृह में 188 भिक्षुक लाभार्थी आवासित है। दो (02) और पुनर्वास गृह की स्थापन एवं संचालन करने की योजना है।

(ग) समुदाय आधारित बचत समूह :- भिक्षुकों को सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एवं उनमें बचत की आदत विकसित करने के लिए समुदाय आधारित बचत समूह का गठन किया गया है। वर्तमान में 30 सी. बी. एस. जी. क्रियाशील हैं जिसमें 428 सदस्य जुड़े हुए हैं तथा कुल 2,46,323/- रूपये की बचत समुदाय आधारित बचत समूह के द्वारा किया गया है।

(घ) स्वावलंबन :- भिक्षुकों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वो समाज के मुख्य धारा से जुड़ सके। वैसे भिक्षुक जो जीविकोपार्जन के लिए स्वरोजगार करना चाहते हैं एवं सीबीएसजी का सदस्य है, उन्हें इस गतिविधि के मध्यम से 10 हजार रुपया तक प्रति व्यक्ति आर्थिक मदद दिया जाता है एवं तकनीकी सहयोग भी प्रदान किया जाता है। अब तक 110 व्यक्तियों को लाभ दिया गया है।

स्वरोजगार हेतु माननीय मंत्री, समाज कल्याण से चेक लेते लाभुक

(ड.) प्रचार-प्रसार :- पटना शहर को भिक्षावृति मुक्त बनाने के लिए प्रचार-प्रसार का कार्य विभिन्न माध्यमों के द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए ब्रोशर का निर्माण कर आम लोगों में वितरण किया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर विभिन्न रेडियो के माध्यम से रेडियो जिंगल का प्रसारण किया गया है। टीवी ऐड/स्पॉट का निर्माण किया जा रहा है जिसका प्रसारण विभिन्न टीवी चैनलों के माध्यम से किया जाता है। वैसे भिक्षुकों को पहचान किया गया है जिन्हें कला

यानी गाने बजाने का कार्य पूर्व में किया है या गा-बजाकर ही भिक्षावृति कर गुजर बसर कर रहें है। ऐसे 12 भिक्षुकों का एक दल बनाकर इन्हें प्रशिक्षक 'भिक्षावृति मुक्त पटना' अभियान के लिए गायन एवं नाट्य का प्रशिक्षण देकर नुक्कड़ नाटक तैयार किया गया है। ये नुक्कड़ नाटक का दल शहर के विभिन्न चौराहों एवं मंदिर, मस्जिद पर प्रदर्शन कर प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे है।

वर्ष 2021-22 में 'सक्षम' के मुख्य कार्यक्रम

विश्व ऑटिज़्म जागरुकता दिवस पर प्रभात फेरी

बिहार में पहली बार लोगों को जागरुक करने के लिए निकाली गई प्रभात फेरीः

श्री मदन सहनी, मंत्री, समाज कल्याण विभाग

दिनांक **02** अप्रैल **2021** को विश्व ऑटिज़्म जागरुकता दिवस के अवसर पर प्रभात फेरी यानी पद यात्रा का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्री मदन सहनी, माननीय मंत्री, समाज कल्याण शामिल थे। प्रभात फेरी प्रातः **8:00** बजे राजभवन, पटना से प्रारंभ होकर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, पटना में इस संकल्प के साथ समाप्त हुआ कि ऑटिज्म के प्रति आमजनों को अधिक से अधिक जागरूक एवं संवेदनशील बनाया जायेगा।

इस अवसर पर माननीय मंत्री ने कहा कि बिहार में पहली बार ऑटिज्म के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें यह प्रभात फेरी राजभवन से प्रारंभ होकर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग तक जाएगी। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रत्येक वर्ष **02** अप्रैल को दुनिया भर में विश्व ऑटिज़्म जागरुकता दिवस **(World Autism Awareness Day)** मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष **2007** में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल **02** अप्रैल को विश्व ऑटिज़्म जागरुकता दिवस मनाने की घोषणा की थी। इस प्रभात फेरी का उद्देश्य है कि ऑटिज्म से ग्रसित चाहे बच्चे हों, बड़े हों या किसी उम्र के लोग हों, के प्रति आमलोगों की भावना सकारात्मक रहें। माननीय मंत्री ने कहा कि इस बीमारी का इलाज अभी नहीं है, परन्तु अगर इसे परिवार में ही बचपन में पहचान कर लिया

जाए तो इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। ऐसे बच्चों को समाज में समानता का अधिकार एवं सम्मान मिले, इसके लिए जागरूकता जरुरी है। इस प्रभात फेरी का आयोजन सक्षम, समाज कल्याण विभाग और दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय द्वारा किया गया। माननीय मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार सभी वर्गों के लोगों के दिव्यांगजनों के लिए लगातार सकारात्मक कार्य कर रही है। विभिन्न प्रकार के दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्ति के प्रति आम लोगों का नज़रिया सकारात्मक और सहयोगात्मक रहे, इसके लिए समय-समय पर लोगों को जागरुक एवं संवेदनशील बनाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। सामाजिक सुरक्षा के मामले को देखने के लिए विभाग अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा निदेशालय तथा दिव्यांगजनों के मामले को देखने के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण का गठन किया गया है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय का गठन इसी दिवस को वर्ष **2018** में होने के उपरांत राज्य भर में दिव्यांगजनों के पुनर्वास की प्रक्रिया तेज हुई है तथा सभी श्रेणी के दिव्यांगजन सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। वर्तमान में दिव्यांगजनों के समुचित पुनर्वास एवं योजनाओं का लाभ देने के लिए सभी **101** अनुमंडलों में संचालित बुनियाद केन्द्र को 'वन स्टॉप सेन्टर' के रुप में विकसित किया गया है। राज्य में संबल छत्र योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं यू.डी.आई.डी. जैसी योजनाएँ संचालित हैं। यूडीआईडी प्रोजेक्ट के माध्यम से सभी दिव्यांगजनों को एक यूनिक पहचान पत्र जारी किया जाता है जिसका प्रयोग देश के किसी भी क्षेत्र रहकर राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। माननीय मंत्री ने इस आयोजन के लिए 'सक्षम' एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय तथा समाज कल्याण विभाग से जुड़े सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को धन्यवाद् दिया।

ऑटिज़्म अर्थात स्वपरायणता एक प्रकार के न्यूरो डेवलपमेंट विकार है जो एक प्रकार की विकलांगता की श्रेणी में आता है, जिसके कारण बच्चों में संज्ञात्मक, भावनात्मक, सामाजिक, व्यक्तिगत तथा संप्रेषण विकास प्रभावित होता है एवं बच्चे अपने आप खोया खोया रहता है। व्यक्ति के विकास संबंधी समस्याओं में ऑटिज़्म तीसरे स्थान पर है। अर्थात व्यक्ति के विकास में बाधा पहुंचाने वाले मुख्य कारणों में ऑटिज़्म भी जिम्मेदार है। ऑटिज़्म से ग्रसित व्यक्ति को मिर्गी के दौरे भी पड़ सकते हैं। ऑटिज़्म के लक्षण अक्सर पहले तीन वर्षो के दौरान बच्चे के माता पिता द्वारा देखे जाते हैं। ये संकेत धीरे धीरे विकसित होते हैं। यह पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ऑटिज़्म को कई नामों से जाना जाता है जैसे- स्वलीनता, मानसिक रोग, स्वपरायणता।

इस अवसर पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय के निदेशक श्री राजकुमार ने बताया कि ऑटिज़्म से ग्रस्त लोगों को इससे लड़ने तथा इसका निदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना है ताकि वे समाज में अन्य लोगों की तरह पूर्ण और सार्थक जीवन जी सकें। इस गंभीर दिव्यांगता के प्रति लोगों को जागरुक करना है। इस दिन उन बच्चों और बड़ों के जीवन में सुधार के कदम उठाए जाते हैं, जो ऑटिज्म से पीड़ित होते हैं। नीला रंग ऑटिज़्म का प्रतीक माना जाता है।

इस प्रभात फेरी में श्री दयानिधान पाण्डेय, तत्कालीन मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सक्षम-सह-निदेशक सामाजिक सुरक्षा, श्रीमती प्रमिला कुमारी प्रजापति, अध्यक्ष, बिहार राज्य बाल संरक्षण आयोग, श्रीमती सुनंदा पाण्डेय, सदस्य बिहार राज्य बाल संरक्षण आयोग, श्री राज कुमार, निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, श्री आलोक कुमार, निदेशक, आई सी डी एस, तत्कालीन डॉ शिवाजी कुमार, राज्य निशक्ता आयुक्त, श्री अजय कुमार श्रीवास्तव सहित समाज कल्याण विभाग के सभी पदाधिकारी व कर्मचारी प्रभात फेरी में भाग लिए।

लॉकडाउन में 'बुनियाद केन्द्र' का सामुदायिक भोजनालय बना गरीबों का सहारा

जिला स्तरीय बुनियाद केन्द्र पर बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगजनों एव ट्रांसजेंडर के लिए की गई भोजन की व्यवस्था

कोविड-19 वैश्विक महामारी की दूसरी लहर के बढ़ते प्रभाव के कारण देश के दूसरे राज्यों सहित बिहार राज्य में भी कोरोना के मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। कोरोना मामलों में लगातार वृद्धि के कारण गृह विभाग, बिहार सरकार ने बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की। लॉकडाउन से लोगों का रोजगार/आय के स्त्रोत पर अनेकों बाधाएँ उत्पन्न होती है, जिसका प्रभाव आम एवं खास सभी लोगों पर पड़ता है। विशेषकर वैसे लोग जो प्रतिदिन कमाते हैं और अपना जीवकोपार्जन करते हैं, ऐसे लोगों के लिए जीवन बचाना कठिन हो जाता है। साथ में अगर परिवार के दूसरे सदस्य यदि निर्भर हो तो मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं। समाज में कुछ ऐसे वर्ग हैं जैसे-वृद्धजनों, विधवाओं, दिव्यांगजनों एवं ट्रांसजेंडरों, जिन पर लॉकडाउन का प्रभाव अत्यधिक पड़ता है तथा जीवन बचाना कठिन हो जाता है। ऐसे वर्गों के लिए 'सक्षम' समाज कल्याण विभाग द्वारा बुनियाद केन्द्र पर सामुदायिक भोजनालय के माध्यम से एक समय का भोजन कराने की व्यवस्था की गई।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, 'सक्षम' द्वारा लॉकडाउन को देखते हुए राज्य के जिला स्तरीय सभी 38 बुनियाद केन्द्रों पर वृद्धजनों, विधवाओं, दिव्यांगजनों एवं ट्रांसजेंडरों के लिए सामुदायिक भोजनालय संचालित करने का निदेश दिया गया। दिनांक 15 मई 2021 से 30 बुनियाद केन्द्रों के माध्यम से वृद्धजनों, विधवाओं, दिव्यांगजनों एवं ट्रांसजेंडरों को भोजन कराना शुरू किया गया। प्रत्येक दिन 11:30 पूर्वाह्न से 02:00 बजे अपराह्न तक भोजन की व्यवस्था केन्द्र पर की गई।

'बुनियाद केन्द्र' के सभी जिला प्रबंधकों ने इस कार्य को बड़े ही उत्साह से सामुदायिक भोजनालय के माध्यम से भोजना कराना शुरु किया। अधिकतर जिला प्रबंधकों के लिए इस तरह का कार्य करने का पहला और अनोखा अनुभव रहा है। 'बुनियाद केन्द्र' के तकनीकी कर्मियों ने भी इस कार्य में रुचि के साथ बढ़–चढ़ कर हिस्सा लिया। सामुदायिक भोजनालय संचालन में कोविड-19 के प्रोटोकाल का पूरा ख्याल रखा गया है। लाभार्थी के आने पर हाथ साफ करने की व्यवस्था, सेनेटाईजेशन की व्यवस्था तथा पीने का साफ पानी की व्यवस्था पर पूरा ध्यान दिया गया है। सभी बुनियाद केन्द्रों पर भोजन करने के लिए टेबल, कुर्सी, एवं अन्य सामग्रियों की व्यवस्था स्थानीय मार्केट के टेंट हाउस से किया गया है एवं प्रतिदिन उसके साफ-सफाई एवं रख रखाव का भी ध्यान दिया गया है।

लाभार्थियों के लिए केन्द्र पर भोजन करने के साथ ही रात का भोजन साथ ले जाने की भी व्यवस्था किया गया था। कुछ ऐसे लाभार्थी थे जिन्हें घर के दूसरे सदस्यों, जो केन्द्र पर भोजन करने नहीं आ सकते थे, उनके लिए टिफिन में ले जाने की भी सुविधा दिया गया। ऐसे अनेकों लाभार्थी थे जो स्वयं केन्द्र पर भोजन करते थे तथा अपने संबंधियों/घर के दूसरे सदस्यों के लिए भी भोजन साथ ले जाते थे।

राज्य स्तर से निदेश के अनुसार 08 जून 2021 तक सामुदायिक भोजनालय का संचालन जिला स्तरीय 'बुनियाद केन्द्रों' के माध्यम से किया गया। इस दौरान लगभग 14000 लोगों ने भोजन किया तथा लगभग 2600 लोगों ने अपने परिवार के दूसरे सदस्यों के लिए भोजन साथ ले गये।

बुजूर्गो के सम्मान में बुनियाद केन्द्र पर 'अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस' का आयोजन

प्रत्येक साल 01 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में मनाया जाता है।

'सक्षम' समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित सभी 'बुनियाद केन्द्रों' पर अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वृद्धजनों के सम्मान में प्रत्येक साल 01 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष भी कोविड-19 के कारण महामारी में लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर बुनियाद केन्द्रों पर वृद्धजन दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हाथ की साफ-सफाई के लिए सेनेटाइजर सहित अन्य व्यवस्था भी किया गया था।

01 अक्टूबर 2021 को जिला एवं अनुमंडल स्तरीय 'बुनियाद केंद्र' पर 'अन्तराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस' का आयोजन

विश्व में वृद्धों एवं प्रौढ़ों के साथ होने वाले अन्याय, उपेक्षा और दुर्व्यवहार पर लगाम लगाने के उद्देश्य इस दिन को मनाया जाता है। इस साल वृद्ध व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 थीम है (**Digital Equity for All Ages**) सभी उम्र के लोगों के लिए उपलब्ध हो डिजिटल दुनिया।

बुनियाद केंद्र मोतिहारी में अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस का हुआ आयोजन

अन्तरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर बुजुर्गो को सम्मानित किया जाता है तथा बुजुर्गो का सम्मान परिवार में बना रहे इसके लिए समाज को जागरुक करने के लिए संदेश भी दिया जाता है। कई बुनियाद केन्द्रों पर कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी बुजुर्गों को माला पहनाकर स्वागत किया गया तथा उन्हें छड़ी व साल भेंटकर सम्मानित किया गया।

बुनियाद केन्द्र पर आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर सभी लोगों ने संकल्प लिया कि कभी भी वृद्धजन का अनादर नहीं करेंगे तथा उनके सम्मान को ठेस नहीं पहुँचाएँगे। यह भी संकल्प लिया गया कि अपने परिजनों के प्रति आदर एवं सेवा भाव रखना हम सभी का परम कर्तव्य होना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी उन्हें सम्मान की नजर से देखे। बता दें कि राज्य में वृद्धजनों के भरण-पोषण एवं होने वाली कठिनाईयों की देखरेख एवं सुनवाई हेतु अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी भी गठित की गई है।

दरअसल, राज्य के सभी 101 अनुमण्डलों में बुनियाद केन्द्र संचालित हैं। बुनियाद केन्द्र के संचालन होने से प्रत्येक वर्ष लगभग सभी बुनियाद केन्द्रों पर 01 अक्टूबर को 'अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस' कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय अधीन संचालित योजना

समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा राज्य के दिव्यांगजनों के हितार्थ 2 अप्रैल 2018 को एक नवीन निदेशालय के रूप में दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय का गठन किया गया है। समाज कल्याण विभाग दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु नोडल विभाग के रूप में कार्य कर रहा है। दिव्यांगता से संबंधित सभी कल्याणकारी कार्य एवं योजनाओं आदि के संचालन का दायित्व नवगठित निदेशालय का है।

मुख्यालय स्तर पर निदेशक एवं दो सहायक निदेशक तथा क्षेत्रीय स्तर पर प्रत्येक जिला में निदेशालय के अधीन एक-एक सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण का पद स्वीकृत है जिसके द्वारा निदेशालय की योजनाओं के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण का कार्य किया जाता है।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय :-

- बिहार सरकार द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत बिहार दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 तैयार की गई है।
- दिव्यांगजनों के हितों की रक्षा एवं दिव्यांगता से संबंधित कार्यों के अनुश्रवण के उद्देश्य से राज्य आयुक्त निःशक्तता के कार्यालय की स्थापना की गई है।
- दिव्यांगता प्रमाणीकरण के शत-प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 'बुनियाद संजीवनी सेवा' एवं स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित कर तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है।
- समाज कल्याण विभाग द्वारा 8 (आठ) विशेष विद्यालयों (3 नेत्रहीन एवं 5 मूक-बधिर) का संचालन पटना / दरभंगा / भागलपुर एवं मुंगेर में तथा एक व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन पटना में किया जा रहा है।
- दिव्यांगजनों को सभी सरकारी नियोजन में 4% (प्रतिशत) आरक्षण के साथ-साथ आयु सीमा में 10 वर्षों की छूट प्रदान की गई है। इसी प्रकार सभी शैक्षणिक संस्थानों में भी दिव्यांग छात्र/छात्राओं के लिए 5% (प्रतिशत) सीट आरक्षित है।

इसके अतिरिक्त सामर्थ्यानुरूप कई लाभकारी / कल्याणकारी योजनायें भी संचालित की जा रही है। यथा

(क) मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना (सम्बल) :-

कृत्रिम अंग एवं उपकरण :- वैसे दिव्यांग योग्य लाभार्थी जिनकी दिव्यांगता का प्रतिशत कम-से-कम 40% (प्रतिशत) या उससे अधिक हो, नियमानुकूल कृत्रिम अंग एवं उपकरण यथा ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, कैलीपर्स, श्रवण यंत्र, ब्लाइन्डस्टिक आदि निःशुल्क प्रदान किये जाते हैं। सामान्य घटक एवं विशेष घटक के तहत अबतक कुल भौतिक उपलब्धि 15,156 है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में रू० 800.00 लाख का बजट स्वीकृत है। स्टेट सोसाईटी फॉर अल्ट्रा पूअर एण्ड सोशल वेलफेयर (सक्षम) को लाभुकों के बीच सर्वे प्रमाणीकरण एवं कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण के वितरण हेतु कुल रू० 800.00 लाख उपलब्ध कराया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल रू० 800.00 लाख का उद्व्यय प्राप्त है।

सर्वे प्रमाणीकरण :- सभी दिव्यांग व्यक्तियों को दिव्यांगता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु जिले में पंचायत स्तर पर विशेष शिविर का आयोजन समय-समय पर किया जाता है। उक्त शिविर में चिकित्सक दल द्वारा जाँचोपरान्त दिव्यांगता प्रमाण-पत्र दिया जाता है। ऐसे दिव्यांग व्यक्ति जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत से अधिक है, को पेंशन का भी लाभ प्रदान किया जाता है। जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/जिला सदर अस्पताल में दिव्यांगता जाँच एवं प्रमाणीकरण का कार्य किया जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में दिव्यांगजनों की संख्या लगभग 23 लाख है। जिनमें से लगभग 14.93 लाख का प्रमाणीकरण का कार्य किया जा चुका है।

UDID (Unique Disability ID for the Persons with Disabilities) :- प्रत्येक दिव्यांगजन को विशिष्ट पहचान पत्र प्रदान करने एवं दिव्यांगजनों के लिए एक राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने के उद्देश्य से **UDID** परियोजना का कार्यान्वयन बिहार सरकार एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। **UDID** कार्ड राज्य एवं केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु एकल दस्तावेज के रूप में मान्य है। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग के सहायक निदेशक **UDID** परियोजना के जिला प्रशासक **(District Administrator)** है।

अबतक कुल लगभग **1,66,451** दिव्यांगजनों को **UDID Card** बनाया जा चुका है।

राजकीय नेत्रहीन एवं मूक-बधिर आवासीय विद्यालय :- दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय (समाज कल्याण विभाग), बिहार, पटना के अंतर्गत 03 नेत्रहीन एवं 05 मूक - बधिर विद्यालय, पटना, दरभंगा, भागलपुर एवं मुंगेर में संचालित है। ये सभी आवासीय विद्यालय हैं। इन सभी छात्र-छात्राओं को आवासन, भोजन, पठन-पाठन सामग्री, खेल-कूद सामग्री, मनोरंजन, चिकित्सा इत्यादि की व्यवस्था सरकार की ओर से नि:शुल्क की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में रू० 144.83 लाख का राजकीय नेत्रहीन आवासीय विद्यालय बजट स्वीकृत है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में रू० 216.00 लाख का राजकीय मूक - बधिर आवासीय विद्यालय बजट स्वीकृत है।

राजकीय नेत्रहीन एवं मूक-बधिर आवासीय विद्यालय का नाम एवं पता निम्नवत है:-

क्र०	जिला का नाम	विद्यालय का नाम	छात्रों की संख्या
1	2	3	4
		राजकीय नेत्रहीन आवासीय विद्यालय	
1.	पटना	राजकीय नेत्रहीन आवासीय उच्च विद्यालय, कदमकुआँ, पटना।	68
2.	दरभंगा	कामेश्वरी प्रिया पूअर होम, राजकीय नेत्रहीन आवासीय उच्च विद्यालय, दरभंगा।	58
3.	भागलपुर	राजकीय नेत्रहीन आवासीय मध्य विद्यालय, भीखनपुर, भागलपुर।	25
		कुल:-	**151**
		राजकीय मूक-बधिर आवासीय विद्यालय	
1.	पटना	राजकीय मूक-बधिर (बालक) आवासीय मध्य विद्यालय, महेन्द्रू पटना।	50
2.	पटना	राजकीय मूक-बधिर (बालिका) आवासीय मध्य विद्यालय, गायघाट, पटना।	50
3.	दरभंगा	श्री कामेश्वरी प्रिया पूअर होम, राजकीय मूक-बधिर आवासीय मध्य विद्यालय, दरभंगा।	50
4.	भागलपुर	राजकीय मूक-बधिर आवासीय मध्य विद्यालय, बड़ी खनजरपुर, भागलपुर।	30
5.	मुँगेर	राजकीय मूक-बधिर आवासीय मध्य विद्यालय, मुँगेर।	25
		कुल:-	**205**
		कुल योग:-	**356**

चलन्त न्यायालय एवं ऑनलाईन ई-कोर्ट का आयोजन :- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-80 के अन्तर्गत राज्य आयुक्त नि:शक्तता को दिव्यांगजनों के अधिकारों से जुड़ी समस्याओं के निष्पादन का कार्य / दायित्व सौंपा गया है। राज्य आयुक्त के कर्तव्य की उप धारा 80 (ख) में प्रावधान है कि राज्य आयुक्त स्वप्रेरणा से या अन्यथा नि:शक्त व्यक्तियों को अधिकारों की रक्षा करने और उन विषयों के सम्बन्ध में उन्हें उपलब्ध सुरक्षा

उपायों की जाँच करेगा, और आवश्यकता होने पर समुचित सुधार हेतु कार्रवाई के लिए पदाधिकारियों के पास मामले को उठाएगा। इससे जुड़े प्रावधान धारा-80 (ग) से 80(च) में भी वर्णित है।

उक्त कार्य दायित्व के निर्वहन हेतु दिव्यांगजनों के अधिकारों के सरंक्षण एवं उनसे जुड़े परिवादों के निष्पादन हेतु राज्य अन्तर्गत विविध जिलों में चलन्त न्यायालय का आयोजन किया गया। चलन्त न्यायालयों के कार्यक्रम की योजना परिदृश्य को काफी विस्तारित किया है। दिव्यांगों के अधिकारों एवं समस्याओं से जुड़े विषयों पर जिला प्रशासन विविध विभागों के पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं अन्य को जागरूक एवं संवेदित करने का कार्य भी इन कार्यक्रमों में प्रमुखता से शामिल किया गया है। इनका तत्कालिक एवं दूरगामी धनात्मक प्रभाव भी दृष्टिगोचर हो रहा है।

दिव्यांगजन समूहों का गठन :- दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम की धारा-72 अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति से सम्बन्धित बैठक एवं त्रिस्तरीय (पंचायत स्तर, प्रखण्ड स्तर व जिला स्तर) दिव्यांगजन समूह का गठन राज्य आयुक्त नि:शक्तता के निदेशानुसार किया गया। दिव्यांगजन समूह विविध स्तर पर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुपालन हेतु उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं।

(ख) सिपडा योजना :- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों को कार्यान्वित करने यथा अधिनियम में प्रावधानित राज्य सलाहकार समिति, राज्य आयुक्त के सलाहकर समिति, जिला स्तरीय समिति तथा अनुसंधान एवं विकास के अलावे केन्द्र सरकार के द्वारा इस निमित्त संचालित सभी योजनाएँ समाहित होगा। सिपडा योजना के अधीन सुगम्य भारत अभियान का शुभारम्भ किया गया है। भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए सार्वभौमिक सुगम्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से सुगम्य भारत अभियान का संचालन 3 दिसम्बर, 2015 से किया गया है। जिसमें महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवनों, सार्वजनिक परिवहन एवं सरकार के बेवसाइट को दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य बनाना है। इस योजना अन्तर्गत सभी योजनाओं के लिए शत-प्रतिशत राशि का प्रावधान केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। इस योजना अंतर्गत देय राशि का दर योजना एवं लाभार्थी विशेष की आवश्यकताओं के अनुरूप होगा।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 तथा इसकी नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप इस योजना के तहत दिव्यांगजन एवं एतद संबंधी सेवा प्रदायी संस्थाओं की पात्रता होगी।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में केन्द्रांश स्कीम सिपडा योजनान्तर्गत दिव्यांगजनों के लिए सार्वभौमिक सुगम्य प्राप्त करने के उद्देश्य से 21 भवनों को सुगम्य बनाने हेतु कुल रू० 925.14 (नौ करोड़ पचीस लाख चौदह हजार रूपये) मात्र की राशि भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि०, बिहार, पटना को संयुक्त रूप से उपलब्ध

करायी गयी है एवं दिव्यांगजनों के सहायतार्थ 20 दिव्यांगजन अनुकूल बस का क्रय तथा राज्य के 17 बस स्टैण्ड को दिव्यांगजनों के अनुकूल बसों के क्रय करने हेतु बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को कुल रू० **9.70 करोड** (नौ करोड़ सत्तर लाख रूपये) मात्र राशि दी गयी थी ।

स्टेट एडवाइजरी बोर्ड (राज्य सलाहकार बोर्ड) :- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 66 के तहत इस बोर्ड का गठन किया गया है । राज्य सरकार द्वारा माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षता में राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है । राज्य सलाहकार बोर्ड दिव्यांगता के विषय पर राज्य की एक परामर्शी एवं सलाहकार निकाय है, जो दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण एवं उनके अधिकारों के सम्पूर्ण सरंक्षण के लिए राज्य के व्यापक नीति का सतत मूल्यांकन को बढ़ावा देने का कार्य करती है। राज्य सलाहकार बोर्ड के सदस्यों की बैठक प्रत्येक छः माह में कम-से-कम एक बार निर्धारित है।

राज्य आयुक्त के लिए सलाहकार समिति :- यह समिति दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 74 उप-धारा 8 में प्रावधानित है । इस समिति का गठन दिव्यांगता से संबंधित मामलों पर राज्य आयुक्त को सलाह देने के लिए किया गया है।

जिला स्तरीय समिति :- यह समिति दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 72 में प्रावधानित है । राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है । यह समिति दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास और सशक्तिकरण से संबंधित मामलों पर जिला प्रशासन को सलाह देती है ।

अनुसंधान एवं विकास :- यह दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 28 में प्रावधानित है।

दिव्यांगजनों के लिए राज्य निधि :- यह दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 888 में प्रावधानित है। राज्य सरकार द्वारा राज्य निधि का प्रबंधन करने के लिए प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षता में एक शासी निकाय का गठन किया गया है, जिसके अन्तर्गत निम्न प्रकार की राशि क्रेडिट की जाती है:-

अनुदान, उपहार, दान, लाभ, वसीयत या स्थानान्तरण के माध्यम से प्राप्त सभी रकम, अनुदान सहायता सहित राज्य सरकार से प्राप्त सभी रकम, तथा ऐसे अन्य स्रोतों से प्राप्त सभी रकम जिन्हें राज्य सरकार द्वारा तय किया जा सकता है।

दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (DDRS) :- इस योजना के तहत दिव्यांग बच्चों/व्यक्तियों के लिए विशेष विद्यालय (मूक बधिर एवं दृष्टिहीनों के लिए) व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, मानव शक्ति का विकास आदि के संचालनार्थ स्वयंसेवी संस्थाओं तथा जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र का अनुदान विमुक्त किया जाता है।

एडिप (Assistance for Purchase & Fitting of Aids & Appliances) :- इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग उपकरण (ट्राई साइकिल, वैशाखी, कैलिपर आदि)

प्रदान करने हेतु जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र भारत रेड क्रॉस सोसायटी, जिला शाखा, डी.आर.डी.ए. के साथ-साथ गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्था को अनुदान देने का प्रावधान है।

सुगम्य भारत अभियान :- सिपडा योजना के अधीन सुगम्य भारत अभियान का शुभारम्भ किया गया है। भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए सार्वभौमिक सुगम्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से सुगम्य भारत अभियान का संचालन 3 दिसम्बर, 2015 से किया गया है। जिसमें महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवनों, सार्वजनिक परिवहन एवं सरकार के वेबसाईट को दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य बनाना है। इस अभियान के तहत पटना शहर के 28 सरकारी महत्वपूर्ण भवनों का चयन भारत सरकार द्वारा किया गया तथा सुगम्यता परीक्षण (Access Audit) का कार्य केन्द्र सरकार द्वारा नामित एजेन्सी स्वाभिमान, भुवनेश्वर के द्वारा किया गया।

'भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय अभियान' के तहत राज्य स्तरीय नोडल पदाधिकारियों का पटना में परिभ्रमण कार्यक्रम के दौरान बैठक में भाग लेते तत्कालीन अपर मुख्य सचिव, श्री अतुल प्रसाद एवं अन्य पदाधिकारी गण

अन्तराष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन

कन्या उत्थान योजना के लाभुक को योजना का लाभ
प्रदान करते माननीय मुख्यमंत्री, बिहार

लाभार्थियों को श्रवण यंत्र, चश्मा एवं सहायक उपकरण का वितरण करते
श्री मदन सहनी, माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

समाज कल्याण विभाग

ब्लॉक-4, पुराना सचिवालय परिसर बिहार, पटना - 800 015

K. P. # : 9431457358